

मास्टर निदेश – भारत में विदेशी निवेश

1. परिचय

1.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 केंद्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से ऋण लिखत को छोड़कर अन्य पूंजी खातेगत लेनदेन संबंधी नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा, तदनुसार, [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम\) विनियमावली, 2017](#) तथा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण\) विनियमावली, 2018](#) को अधिक्रमित करते हुए 17 अक्टूबर 2019 को गैर-ऋण लिखत (एनडीआई) नियमावली, 2019 अधिसूचित की गई है।

1.2 इसके अलावा, एनडीआई नियमावली जारी होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा, 1999 की धारा-47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भुगतान का तरीका और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग\) विनियमावली, 2019 \(फेमा 395\)](#) जारी की जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश हेतु भुगतान का तरीका और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से संबंधित है।

1.3 एनडीआई नियमावली रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, फेमा की धारा 10(4) और 11(1) और एनडीआई नियमावली के नियम 2(ए)(2) के तहत ये निदेश जारी किए गए हैं। सामान्य जानकारी हेतु इन निदेशों का संदर्भ लिया जा सकता है और इन्हें फेमा/ एनडीआई नियमावली/ फेमा-395 के तहत जारी संबंधित अधिसूचनाओं/ निदेशों के साथ पढ़ा जाए।

1.4 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों के अनुसरण में भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश अथवा एनडीआई नियमावली लागू होने की तारीख अर्थात् 17 अक्टूबर 2019 को धारित किए गए निवेश को एनडीआई नियमावली के अंतर्गत किया गया निवेश माना जाएगा और तदनुसार अधिशासित किया जाएगा।

1.5 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 6(5) के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति भारत में तभी कोई प्रतिभूति की खरीद सकता, उसे धारित कर सकता है, उसे अंतरित कर सकता है, अथवा किसी प्रतिभूति में निवेश कर सकता है यदि ऐसी प्रतिभूति उसने तब खरीदी / धारित की हो, अथवा उसमें निवेश किया हो, जब वह भारत का निवासी था अथवा उसे ऐसी प्रतिभूति भारत में निवासी किसी व्यक्ति से विरासत में प्राप्त हुई हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का निवेश अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित किया जाएगा।

2. प्रमुख संकल्पनाएँ :

इस मास्टर निदेश में प्रयुक्त कुछ प्रमुख संकल्पनाएँ नीचे दी गई हैं :

2.1 "अधिनियम" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

2.2 "इक्विटी लिखतें" का अर्थ किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमानी शेयर तथा शेयर वारंट हैं। किन लिखतों को इक्विटी लिखतें माना जाएगा इस संबंध में विस्तृत विवरण इस मास्टर निदेश के पैराग्राफ 4 में दिया गया है।

2.3 'परिवर्तनीय नोट' का अर्थ है किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी कोई एक ऐसी लिखत, जो प्रारम्भिक तौर पर कर्ज़ के रूप में प्राप्त धनराशि को इंगित करती है, जो उसके धारक को उसके विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य हो अथवा इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों तक की अवधि में उस संख्या में स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होगी, साथ ही यह उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होगी।

2.4 "ई-कॉमर्स" का अर्थ है डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर माल तथा सेवाओं, जिनमें डिजिटल उत्पाद भी शामिल हैं, की खरीद तथा बिक्री।

2.4.1 "ई-कॉमर्स संस्था" अर्थात् निम्नलिखित संस्थाएं, जो ई-कॉमर्स कारोबार करती हैं:

(ए) कोई ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित की गई हो; अथवा

(बी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (42) के अंतर्गत शामिल कोई विदेशी कंपनी, अथवा

(सी) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्वाधिकृत तथा नियंत्रित किया जा रहा कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

2.4.2 "ई-कॉमर्स का इनवेंटरी आधारित मॉडल" अर्थात् ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि, जिसमें माल और सेवाओं की इनवेंटरी का स्वामित्व किसी ई-कॉमर्स संस्था के पास हो और ग्राहकों को वह सीधे बेचा जाता हो।

2.4.3 "ई-कॉमर्स का मार्केट प्लेस आधारित मॉडल" अर्थात् किसी ई-कॉमर्स संस्था द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराना ताकि ग्राहक और विक्रेता के बीच वह सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा सके।

2.4.4 इनवेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

2.5 'एफ़डीआई संबंधी निष्पादन की शर्तें' अर्थात् विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए क्षेत्र विशेष के अनुसार निर्दिष्ट विशिष्ट शर्तें हैं, जो एनडीआई नियमावली की अनुसूची 1 में दी गई हैं।

2.6 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)' अर्थात् भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा कंपनियों की इक्विटी लिखतों के माध्यम से (ए) गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में किया गया निवेश; अथवा (बी) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के 10 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक मात्रा में किया गया निवेश;

2.6.1 भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों में पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के जरिए किया गया मौजूदा निवेश यदि 10 प्रतिशत से कम होता है तब भी उस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) माना जाएगा।

2.6.2 'पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर' का अर्थ परिवर्तन के सभी तरीके अपनाने के पश्चात शेष रहने वाले शेयरों की कुल संख्या।

2.7 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' अर्थात् भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा इक्विटी लिखतों में किए गए किसी भी प्रकार निवेश जहाँ (ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त

इक्विटी में 10 प्रतिशत से कम मात्रा में किया गया निवेश अथवा (बी) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों की प्रत्येक श्रृंखला में 10 प्रतिशत से कम मात्रा में किया गया निवेश।

2.8 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)' अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति।

2.8.1 कोई 'विदेशी संस्थागत निवेशक' (FII) अथवा कोई उप-खाता, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियमावली, 1995 के तहत पंजीकृत है, तथा उसके पास सेबी के पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र है, तो सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि की समाप्ति तक उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) माना जाएगा।

2.9 'विदेशी निवेश' अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश।

2.9.1 भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को तेल क्षेत्रों में 'भागीदारी हित/अधिकार' के निर्गम/ अंतरण को विदेशी निवेश माना जाएगा।

2.9.2 यदि व्यक्तियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यह घोषणा की जाती है कि किसी कंपनी का लाभकारी हित किसी अनिवासी भारतीय से जुड़ा है, तो ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश माना जाएगा।

2.9.3 भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश केवल एफ़डीआई अथवा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में कर सकते हैं।

2.10 "समूह कंपनी" अर्थात दो अथवा उससे अधिक उद्यम, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों कि (ए) वे दूसरे उद्यम में 26% या उससे अधिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें; अथवा (बी) दूसरे उद्यम में 50% से अधिक निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्त कर सकें।

2.11 'भारतीय संस्था' अर्थात कोई भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी।

2.12 'निवेश' का आशय है भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अभिदान, अर्जन, उसे धारण करना अथवा उसका अंतरण या जारी कोई कोई यूनिट।

2.12.1 निवेश में भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर जारी निक्षेपागार रसीदें, जिनके अंतर्निहित कोई प्रतिभूति जारी की गई हो, का अर्जन, धारण अथवा अंतरण भी शामिल है।

2.12.2 एलएलपी के प्रयोजन से, निवेश का अर्थ उस एलएलपी की पूंजी में अंशदान अथवा लाभ के शेयरों का अधिग्रहण/ अंतरण होगा।

2.13 "प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश" का अर्थ वह निवेश है, जिसकी बिक्री से हुई आय/ प्राप्त परिपक्वता राशि, करों को घटा कर, भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिए पात्र है तथा "अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश" अभिव्यक्ति का आशय भी इसी तर्ज पर होगा।

2.14 'निवेश व्हीकल' का अर्थ ऐसी संस्था है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबंधित विनियमों के तहत पंजीकृत और

विनियमित है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (राइट्स) विनियमावली, 2014 द्वारा शासित स्थावर सम्पदा निवेश न्यास(REITs), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इन्विट) विनियमावली, 2014 द्वारा शासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एआईएफ) विनियमावली, 2012 द्वारा शासित वैकल्पिक निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं ।

2.14.1 'जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ)' जो किसी ट्रस्ट अथवा कंपनी अथवा किसी कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित की गई हो, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत हो, को एनडीआई नियमावली तथा इस मास्टर निदेश के प्रयोजन से निवेश व्हीकल नहीं माना जाएगा।

2.15 'सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)' अर्थात् सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बनाई गयी तथा पंजीकृत भागीदारी।

2.16 'सूचीबद्ध भारतीय कंपनी' का अर्थ है ऐसी भारतीय कंपनी जिसकी इक्विटी लिखतों में से कोई भी लिखत भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और इस प्रकार "गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी" अभिव्यक्ति को भी तदनुसार इस आशय से समझा जाएगा।

2.17 'गैर-ऋण लिखत' से निम्नलिखित लिखतें अभिप्रेत हैं:-

(ए) निगमित संस्थाओं, यथा: सार्वजनिक, निजी, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध की इक्विटी लिखतों में किये जाने वाले सभी निवेश ;

(बी) सीमित देयता भागीदारी में पूंजी सहभागिता ;

(सी) एफडीआई नीति के तहत समय-समय पर अधिसूचित मान्यताप्राप्त निवेश की सभी लिखतें;

(डी) वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ), भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (इन्विट्स) की यूनिटों में निवेश;

(ई) ऐसे म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), की यूनिटों में निवेश, जो अपनी पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक राशि का इक्विटी में निवेश करती हैं;

(एफ) प्रतिभूतिकरण की संरचना का सबसे कनिष्ठतम स्तर (अर्थात् इक्विटी शृंखला);

(जी) स्थावर सम्पदा का अधिग्रहण, बिक्री या उसमें प्रत्यक्ष कारोबार ;

(एच) न्यासों में अभिदान; और

(आई) इक्विटी लिखतों पर जारी निक्षेपागार रसीदें ;

2.18 'अनिवासी भारतीय (एनआरआई)' भारत के बाहर का निवासी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।

2.19 'विदेशी भारतीय नागरिक' (ओसीआई) का अर्थ है भारत के बाहर निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) के अंतर्गत भारतीय विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

2.20 'निवासी भारतीय नागरिक' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवासी है और भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक है।

2.21 'भू-सम्पदा (रियल इस्टेट) कारोबार' अर्थात् भूमि और अचल संपत्ति का सौदा लाभ कमाने अथवा आय के अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो तथा इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/ वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं हैं।

स्पष्टीकरण:

i) सेबी (आरईआईटी) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित किसी भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) की यूनिटों में निवेश को भी "भू-संपदा कारोबार" की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।

ii) संपत्ति को लीज़ पर देकर उससे किराया प्राप्त किया जाता है और यदि उस राशि को अंतरित नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार की आय को 'भू-संपदा कारोबार' की श्रेणी में गिना नहीं जाएगा।

iii) भू-संपदा से संबंधित हस्तांतरण में निम्नलिखित बातें शामिल हैं,

ए) संपत्ति की बिक्री, लेनदेन (विनिमय) या त्याग; अथवा

बी) उसमें किसी भी अधिकार का समापन; अथवा

सी) किसी भी कानून के तहत उसका अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा

डी) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा- 53 (ए) में निर्दिष्ट स्वरूप में किसी संविदा के निष्पादन के एक भाग के रूप में किसी अचल संपत्ति के कब्जे की अनुमति दिये जाने या उसे बनाए रखने से संबंधित कोई भी लेनदेन; अथवा

इ) किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों को अर्जित करके या किसी करार के अनुसार अथवा किसी व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से, किए गए लेनदेन के परिणामस्वरूप यदि अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता हो, या किसी संपत्ति का उपभोग करना संभव होता हो।

रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं को "भू-संपदा कारोबार" की परिभाषा से बाहर रखा गया है और रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

2.22 'क्षेत्रवार सीमा' का अर्थ है अधिकतम निवेश सीमा, जिसमें भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी कंपनी की इक्विटी लिखतों अथवा एलएलपी की पूंजी, जैसी स्थिति हो, में किया विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब तक कि अलग से प्रावधान न किया गया हो, दोनों निवेश शामिल हैं। भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता संस्था के लिए यह सम्मिश्र सीमा होगी।

2.22.1 एफ़सीसीबी तथा निक्षेपागार रसीदें (डीआर), जिनके साथ कोई कर्ज़ रूपी लिखत अंतर्निहित है, को किसी क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

2.22.2 भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न इक्विटी धारिता की क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत गणना की जाएगी।

2.23 'यूनिट' का अर्थ है किसी निवेश व्हीकल में किसी निवेशक का लाभकारी हित।

इस मास्टर निदेश में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे, जो अधिनियम अथवा उसके तहत बनाई गई नियमावलियों या विनियमावलियों में उन्हें दिये गए हैं।

3. प्रतिबंधित क्षेत्र / व्यक्ति

3.1 भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश प्रतिबंधित है :

- (1) लॉटरी कारोबार जिसमें सरकारी/ निजी, ऑनलाइन आदि लॉटरी शामिल हैं
- (2) कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी
- (3) चिट फंड
- (4) निधि कंपनी
- (5) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) का व्यापार
- (6) रीयल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन से 'भू-सम्पदा (रियल इस्टेट) कारोबार' में टाउनशिप का विकास, आवासीय/ वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण तथा सेबी (आरईआईटी) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) शामिल नहीं हैं।

- (7) तंबाकू अथवा तंबाकूजन्य पदार्थों से बनने वाले सिगार, चीरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण।
- (8) निजी क्षेत्र के निवेश हेतु अनुमति न दिये गए क्रियाकलाप / क्षेत्र अर्थात (i) परमाणु ऊर्जा और (ii) रेलवे परिवहन ।
- (9) लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लाइसेंसिंग सहित की गई किसी प्रकार की फ्रॉंचाईजी, ट्रेडमार्क, ब्रैंड नाम, प्रबंध संविदा जैसी कोई भी व्यवस्था इसके तहत प्रतिबंधित है।

3.2 एनडीआई नियमावली की अनुसूची-1 के तहत किसी ऐसे देश की संस्था द्वारा भारत में निवेश किया जाता है, जो भारत के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता हो, अथवा भारत में किए गए इस प्रकार के निवेश का लाभार्थी ऐसे किसी देश में स्थित हो, अथवा वह ऐसे किसी देश का नागरिक हो, तो ऐसे मामलों में वह केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत ही निवेश कर सकता है। [संदर्भ: प्रेस नोट सं. 3 (श्रृंखला 2020)]

3.3 कोई व्यक्ति जोकि पाकिस्तान का नागरिक है अथवा कोई संस्था, जो पाकिस्तान में निगमित है, वह रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश हेतु प्रतिबंधित कतिपय क्षेत्रों/गतिविधियों को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में केवल सरकार के पूर्वानुमोदन से ही निवेश कर सकता है।

3.4 भारत में किसी संस्था में मौजूदा या भविष्य के किसी एफडीआई के स्वामित्व के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निवेश का लाभकारी स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति या संस्था ऊपर पैरा (3.2) और (3.3) में उल्लिखित प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित हों, या उसके दायरे में आते हों, तो लाभकारी स्वामित्व में बाद में होने वाले ऐसे किसी परिवर्तन हेतु भारत सरकार का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

4. इक्विटी लिखतें

4.1 भारतीय कंपनी को निवेशक के पक्ष में इक्विटी लिखतें जारी करके विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति है। इक्विटी लिखतें अर्थात् भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर, डिबेंचर, अधिमानी शेयर तथा शेयर वारंट, आदि।

4.2 इक्विटी शेयर: इक्विटी शेयर उन शेयरों को माना जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हों और उनमें आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर भी शामिल हैं।

4.3 आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर : 8 जुलाई 2014 को अथवा उसके बाद जारी किए गए आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों को इक्विटी लिखत माना जाएगा।

4.3.1 भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर्स उन्हें जारी करने की तिथि से बारह महीनों की अवधि तक पूर्णतः कॉल-अप होंगे।

4.3.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के मामले में प्रतिफल राशि का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) अग्रिम रूप में प्राप्त होगा तथा प्रतिफल राशि का शेष हिस्सा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर जारी करने की तिथि से बारह महीनों की अवधि के दौरान प्राप्त होना चाहिए।

4.3.3 सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के लिए 12 महीने के भीतर शेष राशि प्राप्त करना उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा, जहां उसने समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2018 के विनियम 41, 82 और 137 के अनुपालन में किसी निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया है।

4.3.4 गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भी प्रतिफल राशि का शेष हिस्सा 12 महीनों की अवधि के पश्चात भी प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, निवेशग्राही कंपनी को उसी प्रकार एक निगरानी एजेंसी को नियुक्त करना आवश्यक है, जैसे सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में सेबी (आईसीडीआर), विनियमावली के तहत किया जाता है। ऐसी निगरानी एजेंसी (एडी श्रेणी-1 बैंक) सेबी विनियमवाली के निर्देशानुसार निवेशग्राही कंपनी की उसी प्रकार रिपोर्टिंग करेगी जैसा कि सूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में किया जाता है।

4.3.5 कॉल मनी का भुगतान न करने की स्थिति में, भुगतान की गई अग्रिम राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और यथा लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार जब्त किया जाएगा।

4.3.6. ये शर्तें उन मामलों में भी लागू होंगी जहां भारत से बाहर निवासी व्यक्ति अंतरण के माध्यम से आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों का अधिग्रहण करता है।

4.4 शेयर वारंट: 8 जुलाई 2014 को अथवा उसके बाद जारी किए गए शेयर वारंट को इक्विटी लिखत माना जाएगा।

4.4.1 शेयर वारंट वे होते हैं, जिन्हें सेबी द्वारा जारी संबंधित विनियमों के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किया जाता है।

4.4.2 मूल्य निर्धारण या परिवर्तन का फॉर्मूला पहले से निर्धारित किया जाएगा। प्रतिफल राशि का कम से कम पच्चीस प्रतिशत हिस्सा अग्रिम रूप में प्राप्त होगा और शेष राशि शेयर वारंट जारी होने के अठारह महीने के भीतर प्राप्त करनी होगी। परिवर्तन के समय निर्धारित की जाने वाली कीमत, किसी भी रूप में, ऐसे वारंट जारी करने के समय निकाले गए उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए और वह समय-समय पर यथानिर्धारित मौजूदा नियमों/ विनियमों और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसरण में हो।

4.4.3 शेष प्रतिफल राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, भुगतान की गई अग्रिम राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और यथालागू आयकर प्रावधानों के अनुसार जब्त किया जाएगा।

4.4.4 ये शर्तें तब भी लागू होंगी जब भारत के बाहर निवासी व्यक्ति अंतरण के माध्यम से शेयर वारंट प्राप्त करता है।

4.5 विदेशी निवेशकों द्वारा प्रतिफल राशि के भुगतान का आस्थगन अथवा लागू मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति में कमी को आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों और वारंटों के अभिदान के रूप में नहीं माना जाएगा।

4.6 डिबेंचर: 'डिबेंचर' वे हैं जो पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय हों, और जिन्हें इक्विटी लिखत माना जाता हो।

4.6.1 अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के स्वरूप में किसी प्रकार का संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा।

4.6.2 ऐसे डिबेंचर जो पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय न हों, उन्हें फेमा की धारा 6 की उप-धारा (7) के तहत जारी दिनांक 16 अक्टूबर 219 की अधिसूचना सं. एस.ओ.3722(ई) के अनुसार ऋण-लिखत माना जाता है। अतः इस प्रकार की लिखतों के निर्गम को एनडीआई नियमावली के तहत अभिशासित नहीं किया जाता है।

4.6.3 दिनांक 07 जून 2007 तक जारी वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय/ आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ऐसे निर्गम जिनके लिए दिनांक 7 जून 2007 से पूर्व निधियाँ प्राप्त हुई हों, उन्हें उनकी मूल परिपक्वता अवधि तक एनडीआई नियमावली के अनुसार निर्गमित माना जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कंपनी द्वारा दिनांक 7 जून 2007 से पूर्व निर्गमित डिबेंचरों की किसी परिपक्वता अवधि को विस्तार प्रदान किया हो, तो इन नियमों के प्रयोजन से उसे मूल परिपक्वता अवधि माना जाएगा।

4.6.4 अपरिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय/ आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, जिनके लिए निधियाँ दिनांक 7 जून 2007 के पश्चात प्राप्त हुई हों, उन्हें कर्ज़ माना जाएगा और इस संबंध में समय-समय

पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के तहत जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

4.7 अधिमानी शेयर: अधिमानी शेयर वे होते हैं जो पूरी तरह से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर हों।

4.7.1 पूरी तरह से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के स्वरूप में किसी प्रकार का संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा।

4.7.2 ऐसे अधिमानी शेयर जो पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय न हों, उन्हें फेमा की धारा 6 की उप-धारा (7) के तहत जारी दिनांक 16 अक्टूबर 219 की अधिसूचना सं. एस.ओ.3722(ई) के अनुसार ऋण-लिखत माना जाता है। अतः इस प्रकार की लिखतों को एनडीआई नियमावली के तहत अभिशासित नहीं किया जाता है।

4.7.3 दिनांक 30 अप्रैल 2007 तक जारी अपरिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को उनकी मूल परिपक्वता अवधि तक एनडीआई नियमावली के अनुसार निर्गमित अधिमानी शेयर माना जाएगा। तथापि, वे अपनी मूल परिपक्वता अवधि तक क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमाओं से बाहर बने रहेंगे। दिनांक 30 अप्रैल 2007 से पूर्व परिपक्वता अवधि में किए गए किसी भी विस्तार को उनकी मूल परिपक्वता अवधि माना जाएगा।

4.7.4 अपरिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय/ आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, जिनके लिए निधियाँ दिनांक 30 अप्रैल 2007 के पश्चात प्राप्त हुई हों, उन्हें कर्ज़ माना जाएगा और इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के तहत जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

4.8 दिनांक 30 दिसंबर 2013 को या उसके पश्चात जारी की गई इक्विटी लिखतों में ऐच्छिकता खंड (आप्शनैलिटी खंड) शामिल किया जा सकता है, बशर्ते वह न्यूनतम 01 वर्ष अथवा संबंधित क्षेत्र के लिए निर्धारित लॉक-इन अवधि, जो भी अधिक हो, की शर्त के साथ हो किन्तु इसमें किसी निश्चित कीमत पर बहिर्गमन का विकल्प या अधिकार नहीं होगा।

5. प्रवेश मार्ग और अनुमति-प्राप्त क्षेत्र

5.1 प्रवेश मार्ग

किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों में विदेशी निवेश दो मार्गों से किया जा सकता है,

5.1.1 स्वचालित मार्ग वह प्रवेश मार्ग है जिसमें भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

5.1.2 सरकारी मार्ग वह प्रवेश मार्ग है जिसमें भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस मार्ग के तहत प्राप्त विदेशी निवेश सरकार द्वारा अपने अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

5.1.3 'सरकारी अनुमोदन' का अर्थ है पूर्ववर्ती औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए)/औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार और/या पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

(एफआईपीबी) और/या भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन, जैसा भी मामला हो। ये इकाइयां भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी) पर सरकार की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती हैं।

5.1.4 कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यदि इस तरह के निवेश के परिणामस्वरूप निवासी भारतीय कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण का अंतरण निवासी भारतीय नागरिकों से नहीं होता अथवा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण नहीं होता, तो पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर चुकता पूंजी के उनतालीस (49) प्रतिशत तक, अथवा क्षेत्रवार या सांविधिक सीमा, जो भी कम हो, के लिए सरकारी अनुमोदन या क्षेत्रवार शर्तों के अनुपालन, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता नहीं होगी। भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अन्य निवेश सरकारी अनुमोदन की शर्तों और एनडीआई नियमों की अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रीय शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।

नोट: निर्दिष्ट देशों से आने वाला निवेश इन निदेशों के पैरा 3.2, 3.3 और 3.4 के अनुसार होना चाहिए।

5.2 क्षेत्रवार सीमाएँ

इसका अर्थ है कि किसी भारतीय संस्था में अधिकतम अनुमत विदेशी निवेश, जिसमें किसी कंपनी के इक्विटी लिखतों में भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर लाये गए विदेशी निवेश या एलएलपी की पूंजी, जैसा भी मामला हो, और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए।

5.2.1 यथालागू कानूनों/ नियमों/ विनियमों, सुरक्षा संबंधी और अन्य शर्तों के अध्याधीन एनडीआई नियमों की अनुसूची-1 में दिए गए क्षेत्रों/कार्यकलापों में प्रत्येक क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए तय सीमा तक विदेशी निवेश की अनुमति है।

5.2.2 क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए क्षेत्रवार सीमा प्रत्येक क्षेत्र के सामने दर्शायी गयी सीमा है। कुल विदेशी निवेश क्षेत्रवार/ सांविधिक सीमा से अधिक नहीं होगा।

5.2.3 एनडीआई नियमों की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध न किए गए क्षेत्रों/कार्यकलापों में लागू कानूनों/ नियमों/ विनियमों, सुरक्षा संबंधी और अन्य शर्तों के अध्याधीन स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति है और एनडीआई नियमों की अनुसूची-1 के पैरा (2) के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है। यह शर्त वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिए लागू नहीं है।

5.2.4 एनडीआई नियमों की अनुसूची-1 के पैरा (3) (बी) के तहत दी गयी सारणी के क्रम सं. "एफ" के तहत इंगित सेवाओं के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5.2.5 जहां भी न्यूनतम पूंजीकरण की आवश्यकता होगी, इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंकित मूल्य के साथ प्राप्त प्रीमियम शामिल होगा। तथापि, यह भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को ऐसे लिखत जारी करने पर कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इक्विटी लिखत के निर्गम मूल्य से परे निर्गम पश्चात अंतरण के दौरान

न्यूनतम पूंजीकरण आवश्यकता की गणना करते समय हस्तांतरणकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर विचार नहीं किया जा सकता।

5.2.6 निवेशक कंपनियों में विदेशी निवेश:

5.2.6.1 अन्य भारतीय संस्थाओं की पूंजी में निवेश की गतिविधि में लगी ऐसी निवेशक कंपनियाँ जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, और कोर निवेश कंपनियाँ (सीआईसी), उन दोनों में विदेशी निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5.2.6.2 कोर निवेश कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एनबीएफसी जैसी संस्थाओं के लिए निर्धारित नियामक ढांचे का भी पालन करना होता है।

5.2.6.3 आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत निवेश कंपनियों में विदेशी निवेश 100% स्वचालित मार्ग के तहत होगा।

5.2.7 ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए जो स्वचालित मार्ग के तहत हों और जिन पर एफडीआई से जुड़ी कार्यनिष्पादन शर्तें लागू न होती हों, भारतीय कंपनी जो परिचालनरत नहीं है और जिसने कोई डाउनस्ट्रीम निवेश भी नहीं किया है, वह स्वचालित मार्ग के तहत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से अपने इक्विटी लिखतों में निवेश प्राप्त कर सकती है। तथापि, ऐसी कंपनियों को सरकारी मार्ग के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ करने के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जब भी ऐसी कोई कंपनी कारोबार शुरू करती है या डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, तो उसे प्रवेश मार्ग, शर्तों और सीमाओं से जुड़ी क्षेत्रवार शर्तों का पालन करना होगा।

5.2.8 विदेशी निवेश पर लागू क्षेत्रवार/सांविधिक सीमाओं और संबद्ध शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन की जिम्मेदारी विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी की होगी।

5.2.9 विदेशी निवेश करने वाला भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जब भारतीय निवेशग्राही कंपनी की लेखापरीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क रखने वाले किसी विशेष लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फर्म को विनिर्दिष्ट करता है, तो ऐसी निवेशग्राही कंपनी की लेखापरीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षा के रूप में की जानी चाहिए जिसमें लेखा परीक्षकों में से एक उस नेटवर्क का हिस्सा न हो।

6. भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के लिए अनुमत निवेश

जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी निवेश प्रवेश मार्गों, क्षेत्रवार सीमाओं या निवेश सीमाओं, जैसा भी मामला हो, और इस तरह के निवेश करने से जुड़ी शर्तों के अधीन होगा। भारत के बाहर निवासी व्यक्ति निवेश कर सकता है जैसा कि यहां बताया जा रहा है।

6.1 [अनुबंध 1](#) में दिए गए निदेशों के अनुसार किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों में अभिदान/ खरीद/ बिक्री की अनुमति है।

6.2 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों की खरीद/बिक्री की अनुमति [अनुबंध 2](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार दी गई है।

6.3 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) द्वारा भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों की प्रत्यावर्तन आधार पर खरीद/बिक्री की अनुमति [अनुबंध 3](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार दी गई है।

6.4 [अनुबंध 4](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों या यूनिट की खरीद/बिक्री अथवा किसी एलएलपी या फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में अंशदान की अनुमति है।

6.5 [अनुबंध 5](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में निवेश की अनुमति है।

6.6 [अनुबंध 6](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) द्वारा निवेश की अनुमति है।

6.7 [अनुबंध 7](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार इन्वेस्टमेंट वेहिकल में निवेश की अनुमति है।

6.8 [अनुबंध 8](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों द्वारा निक्षेपागार रसीदें जारी करने के उद्देश्य से किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखतें जारी करने/अंतरित करने की अनुमति है।

6.9 [अनुबंध 9](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार भारत के बाहर निवासी कंपनियों द्वारा जारी भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) की खरीद/बिक्री की अनुमति है।

6.10 [अनुबंध 10](#) में दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा निवेश।

6.11 राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के जरिए अधिग्रहण

6.11.1 किसी भारतीय कंपनी में निवेश करने वाले भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के रूप में ऐसी कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों (शेयर वारंट के अलावा) में निवेश करने की अनुमति है:

1. भारतीय कंपनी द्वारा की गई पेशकश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में है;
2. इस निर्गम से कंपनी पर लागू क्षेत्रवार सीमा का उल्लंघन नहीं होता है;
3. शेयरधारिता जिसके आधार पर राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू जारी किया गया है, एनडीआई नियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्जित और धारित की गयी हो;
4. भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा बोनस या राइट्स इश्यू के रूप में अधिगृहीत इक्विटी लिखतें (शेयर वारंट के अलावा) उन्हीं शर्तों के अधीन होंगी, जिनमें मूल शेयरधारिता, जिसके बदले राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू जारी किया गया है, पर यथालागू प्रत्यावर्तनीयता संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा, निवेश की प्रकृति (एफडीआई या एफपीआई) मूल निवेश, जिसके बदले राइट्स जारी किए गए थे, के समान ही रहेगी;

5. किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में, भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को जारी किए गए राइट्स कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर होंगे;
6. किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को जारी किए गए राइट्स भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए निर्धारित कीमत से कम कीमत पर नहीं होने चाहिए;
7. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से किया गया ऐसा निवेश ऐसे निर्गम के समय यथालागू शर्तों के अधीन होता है;
8. [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियम, 2016](#) के अनुसार रखी गई राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से आवक प्रेषण के रूप में किया जा सकता है या एनआरई/ एफसीएनआर (बी) खाते में रखी गई धनराशि में से किया जा सकता है;
9. यदि मूल निवेश अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया है, तो प्रतिफल राशि का भुगतान [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियम, 2016](#) के अनुसार बनाए गए एनआरओ खाते को डेबिट करके भी किया जा सकता है।
10. भारतीय कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 62 (1) (ए) (iii) के तहत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (ओसीबी के अलावा) को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकती है। इस प्रकार का निर्गम एनडीआई नियमों के नियम 21 के तहत दिए गए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

6.11.2 कोई व्यक्ति, जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है, जो ऐसे राइट का उपयोग कर रहा है जिसका निर्गम तब किया गया था जब वह भारत का निवासी था, वह अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अधिकार का उपयोग करने पर इस तरह से प्राप्त इक्विटी लिखतों को धारण कर सकता है।

6.11.3 दिनांक 12 नवंबर, 2002 से भारतीय निवेशकर्ता कंपनी आवेदन प्राप्त होने पर मौजूदा शेयरधारकों को उनकी राइट्स पात्रता की सीमा से ऊपर जाकर अतिरिक्त इक्विटी लिखत (शेयर वारंट के अलावा) राइट्स इश्यू आवंटित कर सकती है, बशर्ते यह वैयक्तिक या क्षेत्रवार सीमा, जैसा भी मामला हो, के अधीन हो।

6.11.4 अधिकारों का त्याग

1. भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति कंपनी द्वारा अधिकारों के आधार पर पेश किए गए शेयरों के अलावा अतिरिक्त शेयरों में अभिदान कर सकता है और पूर्ण या आंशिक रूप से ऑफर किए गए शेयरों का त्याग भी उनके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है।

2. पैरा 6.11.3 और पैरा 6.11.4(1) पर यह सुविधा उन निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिन्हें विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) के रूप में ऐसे शेयर आवंटित किए गए हैं।

3. भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जिसने भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति से अधिकार प्राप्त किया है जिसने इसे त्याग दिया है, एनडीआई नियमों के नियम 21 के तहत दिए गए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त अधिकारों के बदले इक्विटी लिखत (शेयर वारंट के अलावा) प्राप्त कर सकता है।

4. अधिकारों के त्याग पर अधिगृहीत किए जाने वाले इक्विटी लिखत प्रत्यावर्तनीयता के संबंध में प्रतिबंधों सहित उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे, जो उस मूल शेयरहोल्डिंग पर लागू होती हैं जिसके खिलाफ राइट्स इश्यू किया गया है।

6.12 कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) और स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना

6.12.1 किसी भारतीय कंपनी को अपने कर्मचारियों/ निदेशकों या अपनी होल्डिंग कंपनी या संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी/ भारत के बाहर स्थित सहायक कंपनियों के कर्मचारियों/ निदेशकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" और / या "स्वेट इक्विटी शेयर" जारी करने की अनुमति है:

1. ईएसओपी योजना या तो सेबी अधिनियम, 1992 के तहत जारी विनियमों या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के संदर्भ में तैयार किया गया है;
2. "कर्मचारी स्टॉक विकल्प"/ "स्वेट इक्विटी शेयर" उक्त कंपनी पर लागू क्षेत्रवार सीमा के अनुपालन में हैं;
3. जहां भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश अनुमोदन मार्ग के तहत है, वहां किसी कंपनी में "कर्मचारी स्टॉक विकल्प"/ "स्वेट इक्विटी शेयर" जारी करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है;
4. बांग्लादेश/ पाकिस्तान के नागरिकों को "कर्मचारी स्टॉक विकल्प"/"स्वेट इक्विटी शेयर" जारी करने के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है;
5. "स्वेट इक्विटी शेयर" भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी करने की अनुमति 11 जून 2015 से दी गयी थी.

6.12.2 भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति जब किसी ऐसे विकल्प का उपयोग कर रहा है जो तब जारी किया गया था जब वह भारत का/की निवासी था/थी, वह इस प्रकार अधिगृहीत इक्विटी लिखतों को धारण करेगा यदि वह विकल्प का उपयोग अप्रत्यावर्तनीय आधार पर करता है।

6.13 किसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा परिवर्तनीय नोट्स जारी करना

6.13.1 भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी नागरिक अथवा पाकिस्तान या बांग्लादेश में पंजीकृत/निगमित किसी संस्था को छोड़कर) को एक ही किश्त में पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोटों में निवेश करने की अनुमति है।

6.13.2 कोई स्टार्टअप कंपनी, जो ऐसे क्षेत्र में कारोबार कर रही है जहां भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है, केवल इस तरह के अनुमोदन के साथ भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी कर सकती है।

6.13.3 ऐसे परिवर्तनीय नोटों के बदले इक्विटी शेयरों का निर्गम प्रवेश मार्ग, क्षेत्रवार सीमाओं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और विदेशी निवेश के लिए अन्य सम्बद्ध शर्तों के अनुपालन में होना चाहिए।

6.13.4 भुगतान राशि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषण द्वारा या [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियम, 2016](#) के अनुसार बनाए गए एनआरआई/ एफसीएनआर (बी)/ एस्करो खाते में डेबिट द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्करो खाते को आवश्यकता पूरी होने के तुरंत बाद या छह महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के एस्करो खाते को छह महीने की अवधि से अधिक बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.5 कोई एनआरआई या ओसीआई परिवर्तनीय नोट का अधिग्रहण इस मास्टर निदेश के पैरा 6.4 में दिए गए निदेशों के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर कर सकता है।

6.13.6 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति भारत में या भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति से बिक्री के माध्यम से परिवर्तनीय नोटों का अर्जन या अंतरण कर सकता है, बशर्ते यह अंतरण इस मास्टर निदेश में दिए गए प्रवेश मार्गों और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

6.13.7 स्टार्टअप कंपनियों के लिए निवेश विकल्प के रूप में परिवर्तनीय नोट्स की अनुमति 10 जनवरी 2017 को दी गई थी।

6.13.8 परिवर्तनीय नोट को या तो इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है या धारक के विकल्प पर जारी होने की तारीख से 5 साल के भीतर चुकाया जा सकता है। पुनर्भुगतान या बिक्री से आय को भारत के बाहर भेजा जा सकता है या [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियम, 2016](#) के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा खोले गए एनआरआई/ एफसीएनआर (बी) खाते में जमा किया जा सकता है।

6.14 भारतीय कंपनियों का समामेलन, विलगाव या विलय

6.14.1 यदि दो या दो से अधिक भारतीय कंपनियों के विलय या समामेलन की योजना या विलगाव के माध्यम से पुनर्गठन या अन्यथा की मंजूरी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है, तो हस्तांतरित कंपनी या वह नई कंपनी, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरणकर्ता कंपनी के मौजूदा धारकों को, जो भारत के बाहर के निवासी हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इक्विटी लिखत जारी कर सकती है:

1. हस्तांतरण या निर्गम करते समय प्रवेश मार्गों, क्षेत्रवार सीमाओं या निवेश सीमाओं और विदेशी निवेश की सम्बद्ध शर्तों, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन किया जाना चाहिए और साथ ही, एफसी-जीपीआर या एफसी-टीआरएस, जैसा भी मामला हो, के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए।
2. यदि विदेशी निवेश से क्षेत्रवार सीमाओं या सम्बद्ध शर्तों का उल्लंघन होने की संभावना है, तो हस्तांतरणकर्ता कंपनी या हस्तांतरिती कंपनी या नई कंपनी को आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
3. हस्तांतरणकर्ता कंपनी या हस्तांतरिती कंपनी या नई कंपनी ऐसे क्षेत्र में कारोबार न कर रही हों जिनमें विदेशी निवेश निषिद्ध हो।

4. दो या दो से अधिक भारतीय कंपनियों के विलय या सम्मेलन की योजना में या किसी भारतीय कंपनी के विलगाव या अन्यथा के माध्यम से पुनर्गठन होता हो, जहां इसमें शामिल कोई भी कंपनी भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, तो इस व्यवस्था की योजना समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुपालन में होगी।

7. भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा या को किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों का हस्तांतरण

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जिसने एनडीआई नियमों के अनुसार किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों में या यूनिटों में निवेश किया है, वह इस पैरा में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन इस प्रकार धारित इक्विटी लिखतों या यूनिटों को हस्तांतरित कर सकता है।

7.1 भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री या उपहार के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को हस्तांतरण

7.1.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, जो अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक या विदेशी कॉर्पोरेट निकाय नहीं है, किसी भारतीय कंपनी या उसके द्वारा धारित इक्विटी लिखतों को भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से अंतरित कर सकता है या उपहार में दे सकता है।

7.1.2 इसमें भारत के बाहर निगमित या पंजीकृत संस्थाओं/कंपनियों के विलय, विलगाव और सम्मेलन के अनुसरण में किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों का हस्तांतरण भी शामिल होगा।

7.1.3 यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में लगी हुई है, जिसमें सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है, तो किसी भी हस्तांतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

7.1.4 जहां भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति एफपीआई है और इस मास्टर निदेश के पैरा 6.2 के तहत किए गए इक्विटी लिखतों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यथालागू समग्र एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रवार सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ एफपीआई से अपेक्षित है कि वह निपटान के पाँच कारोबारी दिनों के भीतर भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति को बेंच दे जो ऐसे लिखतों को धारित करने हेतु पात्र हो। अधिग्रहण और बिक्री के बीच की अवधि के लिए ऐसे अधिग्रहण के कारण उक्त समग्र या क्षेत्रवार सीमा का उल्लंघन, एनडीआई नियमों के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते, बिक्री निपटान के बाद निर्धारित पांच कारोबारी दिनों के भीतर हुई हो। इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

7.2 किसी विदेशी कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी) द्वारा हस्तांतरण

ओसीबी की मान्यता रद्द करने के संबंध में [16 सितंबर, 2003 के एपी \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र संख्या 14](#) द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार कोई ओसीबी इक्विटी लिखतों को हस्तांतरित कर सकता है।

7.3 एनआरआई/ओसीआई द्वारा भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उपहार या बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण

7.3.1 कोई एनआरआई या ओसीआई जो प्रत्यावर्तन के आधार पर किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत या यूनितें धारित करता है, वह भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री या उपहार के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित कर सकता है।

7.3.2 यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कारोबार कर रही हो, जिसमें सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो किसी भी हस्तांतरण के लिए पूर्व सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

7.3.3 जहां इस मास्टर निदेश के पैरा 6.3 के प्रावधानों के तहत किसी एनआरआई या ओसीआई द्वारा अधिग्रहित इक्विटी लिखतों के परिणामस्वरूप यथालागू समग्र एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रवार सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ उक्त एनआरआई या ओसीआई से अपेक्षित है कि वह निपटान के पाँच कारोबारी दिनों के भीतर भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति को बेंच दे जो ऐसे लिखतों को धारित करने हेतु पात्र हो। अधिग्रहण और बिक्री के बीच की अवधि के लिए ऐसे अधिग्रहण के कारण उक्त समग्र या क्षेत्रवार सीमा का उल्लंघन, एनडीआई नियमों के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते, बिक्री निपटान के बाद निर्धारित पांच कारोबारी दिनों के भीतर हुई हो।

7.4 अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखत धारित करने वाले एनआरआई/ओसीआई द्वारा या भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण

7.4.1 किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत या यूनितें धारित करने वाला भारत में निवासी व्यक्ति, या कोई एनआरआई या ओसीआई अथवा भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी/ट्रस्ट/साझेदारी फर्म जो अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत या यूनितें धारित करने वाले एनआरआई या ओसीआई के स्वामित्व और नियंत्रण में हों, वे उसका हस्तांतरण बिक्री के माध्यम से भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को कर सकते हैं बशर्ते, प्रवेश मार्ग, क्षेत्रवार सीमाओं/निवेश सीमाओं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और विदेशी निवेश पर यथालागू अन्य संबद्ध शर्तों के अनुपालन किया गया हो और ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।

7.4.2 हालांकि, प्रवेश मार्ग, क्षेत्रवार सीमाएँ/निवेश सीमाएँ, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश और विदेशी निवेश पर यथालागू अन्य संबद्ध शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि हस्तांतरिती एनआरआई या ओसीआई या भारत के बाहर निगमित कंपनी/ट्रस्ट/साझेदारी फर्म है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर इस तरह का निवेश अर्जित करने वाले एनआरआई या ओसीआई द्वारा किया जाता हो।

7.5 अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखत धारित करने वाले एनआरआई/ओसीआई द्वारा उपहार के रूप में किसी दूसरे एनआरआई/ ओसीआई को हस्तांतरण, जो ऐसे इक्विटी लिखतों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारण करेगा

7.5.1 कोई एनआरआई या ओसीआई या भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी/ ट्रस्ट/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतें या यूनितें धारित करने वाले एनआरआई या ओसीआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली साझेदारी फर्म को यह अनुमति होती है कि वह किसी एनआरआई या

ओसीआई अथवा भारत के बाहर निगमित और एनआरआई या ओसीआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी/ ट्रस्ट/ साझेदारी फर्म को उपहार के माध्यम से इसे हस्तांतरित कर सके और हस्तांतरिती इसे अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेगा।

7.6 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को हस्तांतरण या भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बिक्री

7.6.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जो एनडीआई नियमों के अनुसार किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत या यूनितें धारित करता है, वह उन्हें भारत में निवासी व्यक्ति को बिक्री या उपहार के रूप में दे सकता है अथवा भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर इसे सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से बेच सकता है।

7.6.2 बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करते समय ऐसे हस्तांतरण के लिए निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों, प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और यह इसके अधीन है।

7.6.3 जहां इक्विटी लिखत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित किए जाते हैं, वहाँ उपर्युक्त 7.6.2 पर दी गयी शर्तें लागू नहीं होंगी।

7.7 अप्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूतियां धारित करने वाले किसी अनिवासी भारतीय/ओसीआई अथवा निवासी द्वारा उपहार के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को हस्तांतरण

7.7.1 भारतीय कंपनी की प्रतिभूतियों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारण करने वाला अनिवासी भारतीय या ओसीआई अथवा भारत में निवासी व्यक्ति अपने पास इस प्रकार धारित प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपहार के रूप में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है:

ए) दान प्राप्तकर्ता एनडीआई नियमों के तहत प्रतिभूतियों को धारित करने हेतु पात्र है;

बी) यह उपहार भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी/ डिबेंचर की प्रत्येक श्रृंखला/ प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है; यह सीमा किसी एक दानदाता द्वारा किसी दान प्राप्तकर्ता विशेष के लिए संचयी सीमा होती है;

सी) भारतीय कंपनी के लिए लागू क्षेत्रवार सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है;

डी) दानदाता और दान प्राप्तकर्ता रिश्तेदार हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है;

ई) उक्त दानदाता द्वारा उपहार के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली प्रतिभूति और उसके द्वारा उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाने वाली किसी भी प्रतिभूति का समग्र मूल्य यूएसडी 50,000 के समतुल्य राशि से अधिक नहीं होना चाहिए;

एफ) आवेदन किसी प्राधिकृत डीलर बैंक के माध्यम से आरबीआई के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र से कंपनी का पंजीकृत कार्यालय संचालित होता है।

7.8 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा वैकल्पिकता संबंधी खंड वाली इक्विटी लिखतों का अंतरण

7.8.1 भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसने एनडीआई नियमावली के अनुसार किसी भारतीय कंपनी की वैकल्पिकता संबंधी खंड सहित इक्विटी लिखतें धारित की हैं और वह उक्त विकल्प/अधिकार को निष्पादित कर रहा है, तो ऐसे मामलों में वह किसी निश्चित प्रतिफल राशि के बिना बहिर्गमन कर सकता है/ उन्हें बेच सकता है, किंतु ऐसा करना एनडीआई नियमावली के तहत निर्धारित मूल्य-निर्धारण दिशानिर्देशों तथा एक वर्ष की न्यूनतम अवरुद्धता (लॉक इन) अवधि या एनडीआई नियमावली के अंतर्गत तय की गई न्यूनतम अवरुद्धता (लॉक इन) अवधि, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के अधीन होगा।

7.9 आस्थगित भुगतान प्रतिफल

7.9.1 भारत में निवासी व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच इक्विटी लिखतों के अंतरण के मामले में कुल प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत तक की राशि का,

ए) क्रेता द्वारा अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने तक की अवधि के भीतर आस्थगित आधार पर भुगतान किया जा सकता है; अथवा

बी) अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने तक की अवधि के लिए क्रेता तथा विक्रेता के बीच एस्करो करार के माध्यम से निपटान किया जा सकता है;

सी) यदि क्रेता ने विक्रेता को कुल प्रतिफल का भुगतान कर दिया है, तो प्रतिफल के पूर्ण भुगतान की तारीख से अठारह महीने तक की अवधि के लिए विक्रेता द्वारा उसे क्षतिपूरित किया जा सकता है।

7.9.2 शेयरों के लिए अंतिम रूप से भुगतान किए गए कुल प्रतिफल को यथालागू मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

7.10 एस्करो खाता खोलना

7.10.1 भारत के निवासी व्यक्ति तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के बीच इक्विटी लिखतों के अंतरण के मामले में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार एस्करो खाता खोलने की अनुमति है।

7.10.2 इस प्रकार के एस्करो खाते का निधीयन बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषणों द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(गारंटी\) विनियमावली, 2000](#) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के माध्यम से किया जा सकता है।

7.10.3 जहां लेनदेन सेबी दिशानिर्देशों/ विनियमों द्वारा शासित है, वहाँ प्रतिभूतियों के लिए एस्करो खातों का प्रचालन सेबी के संबंधित विनियम, यदि कोई हैं, के अनुसार होगा।

7.11 गिरवी (प्लेज) के माध्यम से अंतरण

7.11.1 कोई भी व्यक्ति जो भारत में पंजीकृत ऐसी कंपनी (उधारकर्ता कंपनी) का प्रवर्तक है जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के अनुपालन में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाई है, वह उधारकर्ता कंपनी द्वारा जुटाई गई ईसीबी की जमानत के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उधारकर्ता कंपनी अथवा उसकी सम्बद्ध निवासी कंपनियों की इक्विटी लिखतों को गिरवी रख सकता है:

ए) इस प्रकार के गिरवी की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की परिपक्वता के साथ सह-समाप्य (को-टेर्मिनस) होगी;

बी) गिरवी रखी गई लिखतों को इनवोक किए जाने पर, अंतरण एनडीआई नियमावली में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार होगा;

(सी) सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह प्रमाणित किया हो कि उधारकर्ता कंपनी ने ईसीबी से प्राप्त आय का उपयोग केवल अनुमत अंतिम उपयोग के लिए किया है / करेगी ;

(डी) कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की किसी पूंजीगत लिखत को गिरवी नहीं रखेगा जब तक कि वह अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक से इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें, कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

7.11.2 भारतीय कंपनी में इक्विटी लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाला भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति निम्नलिखित के पक्ष में इक्विटी लिखत अथवा यूनिट, जैसा भी मामला हो, गिरवी रख सकता है:

(ए) भारत में किसी बैंक के पक्ष में उस भारतीय कंपनी को सदाशयी क्रियाकलापों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाने वाली ऋण-सुविधाओं की जमानत के तौर पर:

(i) गिरवी को इनवोक किए जाने की स्थिति में किया जाने वाला अंतरण उक्त गिरवी के समय यथालागू अनुदेशों के अनुसार होगा।

(ii) निवेशग्राही कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी यह घोषणा/ वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि ऋण की राशि का उपयोग घोषित प्रयोजन के लिए ही किया गया है/ किया जाएगा;

(iii) भारतीय कंपनी को सेबी के संबंधित प्रकटीकरण मानदंडों, यदि कोई हों, का पालन करना होगा;

(iv) उधारदाता (बैंक) के पक्ष में रखी गई गिरवी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-19 के अनुपालन में होगी; तथा

(v) उपर्युक्त (i) से (iv) तक की शर्तें यूनिटों पर भी तदनु रूप लागू होंगी।

(बी) पारदेशीय बैंक के पक्ष में ऐसे व्यक्ति अथवा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की जमानत के लिए, जो कि ऐसी भारतीय कंपनी अथवा उस भारतीय कंपनी की पारदेशीय समूह कंपनी का प्रवर्तक है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए :

(i) ऋण केवल पारदेशीय बैंक से लिया गया है;

(ii) ऋण का उपयोग विदेश में वास्तविक कारोबारी प्रयोजनों के लिए किया गया है न कि भारत में किसी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निवेशों के लिए;

(iii) पारदेशीय निवेश के परिणामस्वरूप भारत में कोई आवक पूंजी प्रवाह न हों;

(iv) गिरवी को लागू किए जाने की स्थिति में अंतरण गिरवी रखने के समय यथालागू अनुदेशों के अनुसार होगा;

(v) अनिवासी उधारकर्ता के सनदी लेखाकार/ प्रमाणित लोक लेखाकार से इस आशय की घोषणा/ वार्षिक प्रमाणपत्र कि ऋण की राशि का उपयोग घोषित प्रयोजन के लिए ही किया गया है/किया जाएगा;

(vi) उपर्युक्त (i) से (v) तक की शर्तें यूनितों पर भी पर्याप्त रूप से लागू होंगी।

(सी) रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पक्ष में ऐसी भारतीय कंपनी को वास्तविक प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं में जमानत के तौर पर, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए :

(i) गिरवी को इनवोक किए जाने की स्थिति में इक्विटी लिखतों का अंतरण [मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जमाराशि स्वीकार न करने वाली और प्रणालीगत महत्व न रखने वाली कंपनी \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2016](#) (पैरा 22) तथा [मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-जमाराशि स्वीकार न करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली प्रणालीगत महत्व की कंपनी \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2016](#) (पैरा 22) में दिए गए अनुसार ऋण संकेन्द्रण मानदंडों के अनुसार होना चाहिए;

(ii) एडी बैंक निवेशग्राही कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा पारित 'प्रत्याशित' बोर्ड संकल्प प्राप्त करे कि इक्विटी लिखतों को गिरवी रखने के परिणामस्वरूप प्राप्त ऋण की राशि का उपयोग निवेशग्राही कंपनी द्वारा घोषित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा;

(iii) प्राधिकृत व्यापारी निवेशग्राही कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक से 'यथार्थ' प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि शेयरों को गिरवी रखने के परिणामस्वरूप प्राप्त ऋण की राशि का उपयोग निवेशग्राही कंपनी ने घोषित प्रयोजन के लिए ही किया है;

(iv) भारतीय कंपनी को सेबी के संबंधित प्रकटीकरण मानदंडों, यदि कोई हो, का पालन करना होगा;

(v) किसी भी परिस्थिति में एनबीएफ़सी द्वारा ऋण संकेन्द्रण मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यदि गिरवी को इनवोक किए जाने के संबंध में कोई उल्लंघन होता है तो इक्विटी लिखतों को बेच दिया जाए और गिरवी इनवोक किए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उल्लंघन को सुधार लिया जाए।

7.11.2.1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट हो लें कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है;

ए) गिरवी के माध्यम से अंतरित किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों अथवा यूनितों को अभारित होना चाहिए;

बी) कंपनी मौजूदा उधारदाता, यदि कोई हो, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी;

सी) गिरवी इनवोक किए जाने के मामले में, भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों अथवा यूनिटों का अंतरण गिरवी के सृजन के समय लागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा/ निवेश सीमाओं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

7.11.3 गिरवी के माध्यम से किसी अन्य अंतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। ऐसे मामलों को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाए:

(ए) अनिवासी कंपनी/कंपनियों द्वारा पारित बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि जिसमें उधारदाता/ उधारदाताओं के पक्ष में ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा धारित एनडीआई नियमावली के अनुसार अर्जित की गई निवेशग्राही कंपनी की प्रतिभूति (गिरवी की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या/ प्रतिशत) को गिरवी किए जाने को अनुमोदन दिया गया हो।

(बी) निवेशग्राही कंपनी द्वारा पारित बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि जिसमें निवेशग्राही कंपनी द्वारा ली गई ऋण सुविधा के लिए एनडीआई नियमावली के अनुसार अर्जित की गई प्रतिभूतियों को उधारदाता के पक्ष में गिरवी रखने को अनुमोदन दिया गया हो।

(सी) कंपनी सचिव द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की गई ऋण करार/ गिरवी करार की प्रतिलिपि, जिसमें जमानत संबंधी खंड शामिल हो, जिसके अनुसार निवेशग्राही कंपनी के शेयरों को गिरवी रखा जाना अपेक्षित है।

(डी) उन सुविधाओं के ब्यौरे जिनका लाभ लिया गया है/ लिया जाना प्रस्तावित है।

(ई) एनडीआई नियमावली में निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिभूति के अधिग्रहण से संबंधित रिपोर्टिंग, यदि कोई हो, के ब्यौरे।

7.12 भारत में निवासी द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को अंतरण, जहां निवेशग्राही कंपनी का कारोबार वित्तीय क्षेत्र में है

भारत में निवासी द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कंपनी की इक्विटी लिखतों के अंतरण के मामले में, एडी बैंक को अनिवासी निवेशक के संबंध में वित्तीय क्षेत्र के संबंधित विनियामक द्वारा निर्धारित 'उचित और उपयुक्त/ समुचित सावधानी' संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

7.13 भुगतान का माध्यम

7.13.1 भारत में निवासी व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के बीच इक्विटी लिखतों के अंतरण पर प्राप्त प्रतिफल राशि को भारत में बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से प्राप्त अथवा विप्रेषित, जैसी स्थिति हो, किया जा सकता है अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार धारित किए गए एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी)/ एस्करो खाते में / खाते से अदा/ प्राप्त किया जा सकेगा।

7.13.2 अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित निवेश के मामले में 7.13.1 के अतिरिक्त अंतरण के लिए प्रतिफल राशि को [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार धारित किए गए एनआरओ खाते से अदा/ प्राप्त जैसी स्थिति हो, किया जा सकेगा।

8. मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश

8.1 किसी कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी इक्विटी लिखतें :

किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी की गई इक्विटी लिखतों की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी :

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में सेबी द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के लिए यथालागू दिशानिर्देशों के तहत अभिकलित मूल्य अथवा असूचीबद्ध होने के लिए प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियामावाली, 2009 के प्रावधानों के तहत अभिकलित मूल्य;

(बी) किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में उसकी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किसी मूल्य निर्धारण पद्धति के तहत स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाए जिसे किसी प्रमाणित सनदी लेखाकर अथवा सेबी में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर अथवा किसी व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

8.1.2 परिवर्तनीय इक्विटी लिखतों के मामले में लिखत का मूल्य निर्धारण/ परिवर्तन का फॉर्मूला लिखत के निर्गम के समय पूर्व निर्धारित किया जाए। परिवर्तन के समय तय किया गया मूल्य किसी भी मामले में तत्कालीन फेमा नियमों के अनुसार ऐसी लिखत जारी करते समय अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

8.2 भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को अंतरित की गई इक्विटी लिखतें

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को अंतरित की जाने वाली भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी:

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में सेबी के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित मूल्य; अथवा

(बी) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में वह मूल्य जिस पर सेबी के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता है अथवा असूचीकरण की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में यह मूल्य सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियामावाली, 2009 के अनुसार तय किया जाएगा। कीमत का निर्धारण सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित तारीख जो कि शेयरों की खरीद अथवा बिक्री की तारीख होगी, के पहले विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है। ऐसी कंपनी के मामले में जिसने असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, उन शेयरों पर, जिन्हें असूचीबद्धता की प्रक्रिया के दौरान कंपनी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, वह मूल्य लागू होगा जिसे सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित किया गया है; अथवा

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी भी मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन किया जाएगा; जिसे सनदी लेखाकर अथवा सेबी में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

8.3 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को अंतरित की गई इक्विटी लिखतें :

8.3.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को अंतरित की जाने वाली भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की कीमत निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में सेबी के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित मूल्य; अथवा

(बी) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में वह मूल्य जिस पर सेबी के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता है अथवा असूचीकरण की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में यह मूल्य सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियामावाली, 2009 के अनुसार तय किया जाएगा। कीमत का निर्धारण सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित तारीख जो कि शेयरों की खरीद अथवा बिक्री की तारीख होगी, के पहले विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है। ऐसी कंपनी के मामले में जिसने असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, उन शेयरों पर, जिन्हें असूचीबद्धता की प्रक्रिया के दौरान कंपनी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, वह मूल्य लागू होगा जिसे सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित किया गया है; अथवा

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी भी मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन किया जाएगा; जिसे सनदी लेखाकर अथवा सेबी में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

8.3.2 मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को ऐसा निवेश/ करार करते समय किसी निश्चित निकास मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती है और वह निकास के समय प्रचलित मूल्य पर निकास करेगा।

8.4 इक्विटी लिखतों का स्वैप

इक्विटी लिखतों के स्वैप के मामले में राशि पर ध्यान दिए बिना, स्वैप व्यवस्था में मूल्य निर्धारण सेबी में पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अथवा मेजबान देश के किसी उचित विनियामक प्राधिकारी के पास पंजीकृत किए गए भारत के बाहर के किसी निवेश बैंकर द्वारा किया जाना चाहिए।

8.5 संस्था के बहिर्नियम (MoA) में अभिदान

जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संस्था के बहिर्नियम में अभिदान के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी किए जाते हैं, वहाँ प्रवेश मार्ग तथा क्षेत्र-विशेष के लिए निधारित सीमा के अधीन ऐसे निवेश अंकित मूल्य पर किए जाएंगे।

8.6 अंशतः प्रदत्त शेयर

अंशतः प्रदत्त शेयरों का मूल्य पहले ही निश्चित किया जाएगा।

8.7 शेयर वारंट

8.7.1 शेयर वारंट के मामले में उनका मूल्य निर्धारण तथा कीमत/ परिवर्तन फॉर्मूला पहले ही निश्चित किया जाएगा।

8.7.2 परिवर्तन के समय का मूल्य किसी भी मामले में ऐसे वारंट को जारी करते समय अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

8.8 सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में निवेश

एलएलपी में या तो पूंजीगत अंशदान के रूप में अथवा लाभ शेयरों के अधिग्रहण/ अंतरण के रूप में निवेश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार/ अपनाए गए किन्हीं मूल्यांकन मानदण्डों के अनुसार, जो बाजार प्रथाओं के अनुसार (जिसे इसके बाद "पूंजी अंशदान का उचित मूल्य/ किसी एलएलपी का लाभ शेयर" कहा जाएगा) हों, अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए तथा उसे सनदी लेखाकार द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पैनल द्वारा अनुमोदित किसी मूल्यांकनकर्ता द्वारा इस आशय का मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करते हुए प्रमाणित किया जाना चाहिए।

8.9 एलएलपी में किए गए पूंजीगत अंशदान/ लाभ शेयर का अंतरण

8.9.1 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी एलएलपी में किए गए पूंजीगत अंशदान/ लाभ शेयर के भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को किए जाने वाले अंतरण के मामले में, यह अंतरण ऐसी राशि तक होगा जो कि उस एलएलपी में पूंजीगत अंशदान/ लाभ शेयर के उचित मूल्य से कम नहीं है।

8.9.2 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी एलएलपी में किए गए पूंजीगत अंशदान/ लाभ शेयर के भारत में निवासी किसी व्यक्ति को किए जाने वाले अंतरण के मामले में, यह अंतरण ऐसी राशि तक होगा जो कि उस एलएलपी में पूंजीगत अंशदान/ लाभ शेयर के उचित मूल्य से अधिक नहीं है।

8.10 मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का निम्नलिखित पर लागू न होना

8.10.1 मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखतों में किए जाने वाले निवेश पर लागू नहीं होंगे।

8.10.2 मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश सेबी के विनियमों के अनुसार की गई बिक्री के माध्यम से किए गए अंतरण पर भी लागू नहीं होंगे जहां मूल्य निर्धारण सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है। एडी बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म एफ़सी-टीआरएस के साथ सनदी लेखाकार द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र जोड़ना होगा कि सेबी के संबंधित विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

8.10.3 किसी सनदी लेखाकार या सेबी में पंजीकृत किसी मर्चेन्ट बैंकर अथवा किसी व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट या द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाणपत्र अंतरण की वास्तविक तिथि से नब्बे दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

9. डाउनस्ट्रीम निवेश

डाउनस्ट्रीम निवेश संबंधी दिशानिर्देशों का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी न किया जाए"। तदनुसार, डाउनस्ट्रीम निवेश, जिन्हें अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, वे प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमाएं, जैसा भी मामला हो, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और एनडीआई नियमावली में निर्धारित अनुषंगी शर्तों के अधीन होंगे।

9.1 परिभाषाएं

9.1.1 "भारतीय कंपनी का स्वामित्व" का अर्थ है ऐसी कंपनी के इक्विटी लिखतों के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से की लाभकारी धारिता।

- 9.1.2 "सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का स्वामित्व" का अर्थ है उसकी पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक का अंशदान तथा लाभ शेयर का बड़ा हिस्सा।
- 9.1.3 "निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्ववाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों और/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।
- 9.1.4 "निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।
- 9.1.5 "भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है।
- 9.1.6 "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है।
- 9.1.7 किसी कंपनी के "नियंत्रण" का अर्थ होगा उसकी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयरधारक करार या मतदान करार के कारण निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने तथा प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार।
- 9.1.8 एलएलपी के प्रयोजन से "नियंत्रण" का अर्थ है नामित साझेदारों की बहुसंख्या को नियुक्त करने का अधिकार, जहां ऐसे नामित साझेदारों के पास, अन्य लोगों को विशेष रूप से अपवर्जित करते हुए, एलएलपी की सभी नीतियों पर नियंत्रण हो।
- 9.1.9 "निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली कंपनी" का अर्थ है ऐसी भारतीय कंपनी जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों और/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।
- 9.1.10 "निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली एलएलपी" का अर्थ है ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों और/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।
- 9.1.11 "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है।
- 9.1.12 " भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है।
- 9.1.13 "डाउनस्ट्रीम निवेश" का अर्थ है कोई भारतीय संस्था, जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है अथवा किसी निवेश व्हीकल के जरिये किसी अन्य भारतीय संस्था की इक्विटी लिखतों अथवा पूंजी, जैसी स्थिति हो, में निवेश किया है।
- 9.1.14 "धारक कंपनी" का अर्थ वही होगा जो कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिया गया है।
- 9.1.15 "अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश" का अर्थ है किसी भारतीय संस्था द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त डाउनस्ट्रीम निवेश:

(ए) कोई अन्य भारतीय संस्था (आईई) जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है; अथवा

(बी) कोई निवेश व्हीकल जिसका प्रयोजक या प्रबंधक या निवेश प्रबंधक का स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा उसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है। यदि प्रायोजक या प्रबंधक या निवेश प्रबंधक कंपनियों या एलएलपी के अलावा किसी अन्य रूप में संगठित है, तो सेबी यह निर्धारित करेगा कि प्रायोजक या प्रबंधक या निवेश प्रबंधक पर विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण है या नहीं।

[स्पष्टीकरण 1: उन मामलों में जहां निवेशग्राही संस्था में किया गया मूल निवेश किसी निवासी के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में उस निवेशग्राही संस्था का स्वामित्व और/ अथवा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो इसे उस तारीख से डाउनस्ट्रीम निवेश माना जाएगा जिस दिन उस निवेशग्राही संस्था का स्वामित्व और/ अथवा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के हाथ में चला गया हो। इस प्रकार का डाउनस्ट्रीम निवेश प्रवेश मार्ग और क्षेत्र विशेष के लिए लागू सीमाओं संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा।]

[स्पष्टीकरण 2: अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए जाने वाले एनआरआई निवेश को घरेलू निवेश माना जाता है। तदनुसार, किसी भारतीय संस्था द्वारा किया गया निवेश, जो अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी एनआरआई के स्वामित्व और नियंत्रण में हो, तो अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना हेतु उसपर विचार नहीं किया जाएगा।]

9.1.16 "कुल विदेशी निवेश" का अर्थ विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जोड़ है तथा उसे पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर गिना जाएगा।

9.1.17 "रणनीतिक डाउनस्ट्रीम निवेश" का अर्थ है भारत में निगमित बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं में किया गया निवेश।

9.2 प्रतिबंध

9.2.1 भारतीय संस्था के अलावा भारत में निवासी कोई अन्य व्यक्ति अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।

9.3 निवेशग्राही कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में माने जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश से संबंधित शर्तें

9.3.1 अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय संस्था विदेशी निवेश के लिए यथालागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र-वार सीमाएँ, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा एफ़डीआई से सम्बद्ध कार्य निष्पादन की अन्य शर्तों का अनुपालन करेगी।

9.3.2 ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है, द्वारा ऐसी भारतीय कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की अनुमति है जो कि उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश अनुमत है और एफ़डीआई संबंधी निष्पादन की शर्तें नहीं हैं।

9.3.3 किसी एलएलपी में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति तब है जब वह एलएलपी उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश अनुमत है और एफ़डीआई संबंधी निष्पादन की शर्तें लागू नहीं हैं।

9.3.4 किसी निवेश व्हीकल, जिसका प्रयोजक या प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक यदि कोई व्यक्ति हो, जिसके कारण उस निवेश व्हीकल द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश को निवेश प्राप्तकर्ता के स्तर पर अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं माना जाता हो, तो उस निवेश व्हीकल के प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक का निवासी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। निवेश व्हीकल के प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक किसी अन्य रूप में संगठित होने की स्थिति में सेबी इस बात को निर्धारित करेगा कि वह संस्था किसी विदेशी स्वामित्व और/ अथवा नियंत्रण में है अथवा नहीं।

9.3.5 जिस डाउनस्ट्रीम निवेश को निवेशग्राही भारतीय संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, उसके लिए निवेश करने वाली भारतीय संस्था के निदेशक बोर्ड का अनुमोदन तथा शेयरधारकों का करार, यदि कोई हो, होना चाहिए।

9.3.6 निवेशग्राही भारतीय संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाने वाला डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय संस्था आवश्यक निधियाँ विदेश से लाएगी तथा घरेलू बाजार में उधार ली गई निधियों का उपयोग नहीं करेगी। भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिदान को घरेलू बाजार से उधार ली गई/ लीवरेज की गई निधियाँ नहीं माना जाएगा। तथापि, कर्ज जुटाने तथा उसके उपयोग के संबंध में अधिनियम, उसके अंतर्गत बने नियमों अथवा विनियमों का अनुपालन आवश्यक है।

9.3.7 निवेशग्राही भारतीय संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माने जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश आंतरिक उपचय के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य से आंतरिक उपचय का अर्थ होगा करों के भुगतान के पश्चात प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित लाभ।

9.3.8 जब कोई ऐसी कंपनी जिसका कोई परिचालन शुरू नहीं है, वह डाउनस्ट्रीम निवेश करती है जो कि निवेशग्राही भारतीय संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश है अथवा वह कारोबार शुरू करती है, तो उसे प्रवेश मार्ग पर क्षेत्रवार निर्धारित शर्तों, अन्य संबंधित शर्तों तथा सीमाओं का अनुपालन करना होगा।

9.4 कंपनी कर्ज पुनर्चना (सीडीआर) प्रणाली के अंतर्गत डाउनस्ट्रीम निवेश

9.4.1 दिनांक 31 जुलाई 2012 से कोई बैंकिंग कंपनी (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के उपबंध (सी) में यथापरिभाषित और भारत में निगमित) जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व व नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है, के द्वारा कंपनी कर्ज पुनर्चना (सीडीआर) अथवा अन्य किसी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत अथवा व्यापार बही में या ऋण में चूक के कारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए किया गया/ किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में गिना नहीं जाएगा।

9.4.2 ऊपर 9.4.1 में संदर्भित बैंकिंग कंपनी द्वारा किए गए रणनीतिक डाउनस्ट्रीम निवेश को निवेशग्राही कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा।

9.5 भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश

9.5.1 भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन की परिणामस्वरूप बनी इक्विटी शेयरधारिता को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना जाएगा।

9.5.2 एफ़सीसीबी तथा डीआर, जिनके पास कर्ज के रूप में अंतर्निहित लिखत है, को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना नहीं जाएगा।

9.5.3 कुल विदेशी निवेश की गणना की पद्धति भारतीय कंपनियों में निवेश के प्रत्येक स्तर पर लागू होगी और इसलिए वह हर एक भारतीय कंपनी पर भी लागू होगी।

9.5.4 डाउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन से, डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय कंपनी में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार धारित पोर्टफोलियो निवेश को निवेशग्राही भारतीय कंपनी के कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

9.5.5 भारतीय कंपनी के पूर्ण स्वामित्ववाली संस्था द्वारा प्राप्त अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली कंपनी द्वारा प्राप्त कुल विदेशी निवेश तक सीमित रखा जाएगा।

9.6 निकास की शर्तें

9.6.1 किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों को यदि किसी किसी अन्य भारतीय कंपनी द्वारा धारित किया गया है, जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है, तो उसके द्वारा धारित इक्विटी लिखतें निम्नलिखित को अंतरित की जा सकती हैं:

(ए) भारत के बाहर का निवासी ऐसा कोई व्यक्ति जो फॉर्म एफ़सीटीआरएस में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन हो। तथापि इस प्रकार के अंतरण पर मूल्यनिर्धारण संबंधी दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

(बी) भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति जो मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन हो।

(सी) विदेशी निवेश धारित करने वाली कोई भारतीय कंपनी, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है। इस मामले में मूल्यनिर्धारण तथा रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

9.6.2 ऊपर 9.6.1 पर दिए गए अनुदेश एलएलपी पर भी तदनुसार लागू होंगे।

9.7 अनुपालन का दायित्व

9.7.1 डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली प्रथम स्तरीय भारतीय कंपनी उसके द्वारा द्वितीय स्तर पर किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होगी और आगे यही क्रम जारी रहेगा। ऐसी प्रथम स्तरीय कंपनी अपने सांविधिक लेखाकार से वार्षिक आधार पर इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी। इन विनियमों के अनुपालन का उल्लेख भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाए।

9.7.2 यदि सांविधिक लेखाकार ने सापेक्ष रिपोर्ट दी है तो कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उसे तत्काल रिज़र्व बैंक के संबंधित जिस क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थित है, के ध्यान में लाएगा और वह आरबीआई के उक्त क्षेत्रीय कार्यालय से पावती भी प्राप्त कर लें।

9.7.3 एलएलपी के लिए उपर्युक्त 9.7.1 पर दिए गए अनुदेशों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

9.8 डाउनस्ट्रीम निवेश संबंधी दिशानिर्देशों की उपयुक्तता

9.8.1 दिनांक 13 फरवरी 2009 के पूर्व तत्कालीन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश जिसे निवेशग्राही कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है, में एनडीआई नियमावली के अनुपालन हेतु किसी प्रकार के आशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त तारीख के बाद किए गए सभी अन्य निवेश उसकी परिधि में आएंगे।

9.8.2 13 फरवरी 2009 तथा 21 जून 2013 के बीच किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश, निवेशग्राही कंपनी के लिए जिसे अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है, और जो डाउनस्ट्रीम निवेश संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न करते हों, उन्हें एनडीआई नियमावली के अनुसार अनुपालित माने जाने हेतु उन्हें रिज़र्व बैंक को 3 अक्टूबर 2013 तक रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित था।

10. कर तथा बिक्री आगम राशि का विप्रेषण

10.1 कर

10.1.1 भारत में विदेशी निवेश के संबंध में किए गए सभी लेन-देन भारत में बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए जाएंगे तथा भारत में यथालागू कर तथा अन्य शुल्क/ लेवी के भुगतान के अधीन होंगे।

10.2 बिक्री आगम राशि का विप्रेषण

10.2.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा धारित भारतीय प्रतिभूति की बिक्री आगम राशि का विप्रेषण केवल एनडीआई नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

10.2.2 कोई प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत के बाहर निवासी विक्रेता को किसी प्रतिभूति की बिक्रीगत आय (यथालागू करों को घटाकर) का विप्रेषण करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते -

(ए) विक्रेता द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूति धारित की गई हो; तथा

(बी) या तो प्रतिभूति मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अनुपालन में बेची गई है अथवा अन्य मामलों में प्रतिभूति की बिक्री तथा उसकी बिक्री आगम राशि के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद/ बिक्री

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद/ बिक्री

1.1 भारतीय कंपनी द्वारा निर्गम

1.1.1 कोई भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी निवेश के लिए विनिर्दिष्ट प्रवेश मार्ग, निर्धारित क्षेत्रवार सीमा और अनुषंगिक शर्तों के अधीन इक्विटी लिखतें जारी कर सकती है।

1.2 भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद

भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतें खरीद सकता है बशर्ते :

(ए) निवेश करने वाले भारत के बाहर निवासी व्यक्ति ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011 के अनुसार ऐसी कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और ऐसे नियंत्रण को बनाए रखा है;

(बी) प्रतिफल राशि का भुगतान इस अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतान की विधि के अनुसार या निवेशग्राही भारतीय कंपनी, जिसमें भारत के बाहर निवासी व्यक्ति ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011 के अनुसार नियंत्रण हासिल किया है और उसे बनाए रखा है, के द्वारा देय लाभांश में से किया जा सकता है किंतु यह इस बात के अधीन होगा कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जा चुका है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार खोले गए विशेष अनिवासी रुपया खाते में लाभांश की राशि को क्रेडिट कर दिया गया है।

1.3 पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी द्वारा निर्गम

1.3.1 किसी अनिवासी संस्था द्वारा भारत में स्थापित कोई पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, जो ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही है, जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश अनुमत है और एफ़डीआई सम्बद्ध निष्पादन की कोई शर्तें नहीं है, वह उक्त अनिवासी संस्था को उसके द्वारा किए गए निगमन पूर्व / परिचालन पूर्व व्यय के बदले पूंजी के पांच प्रतिशत की सीमा अथवा 500,000 अमरीकी डॉलर, इनमें से जो भी कम हो, तक की इक्विटी लिखतें निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी कर सकती है:

(ए) समय-समय पर यथासंशोधित रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश में निर्धारित किए गए अनुसार, भारतीय कंपनी द्वारा इक्विटी लिखतों के निर्गम की तारीख से तीस दिनों के भीतर लेकिन निगमन की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि में इस संबंध में फॉर्म एफसी-जीपीआर (FC-GPR) प्रस्तुत किया जाएगा;

(बी) भारतीय कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निगमन पूर्व/ परिचालन पूर्व व्यय की राशि, जिसके बदले इक्विटी लिखतें जारी की गई हैं, का उपयोग उसे जिस प्रयोजन से प्राप्त किया गया था उसी के लिए गया है। इस प्रमाणपत्र को फॉर्म एफसी-जीपीआर (FC-GPR) के साथ जमा किया जाएगा।

1.3.2 निगमन पूर्व/ परिचालन पूर्व व्यय में, निवेशग्राही कंपनी के खाते में अथवा भारत में निवेशक के खाते में, यदि ऐसा खाता हो तो अथवा निगमन से संबंधित या परिचालनों को शुरू करने के लिए आवश्यक व्यय

के लिए किसी भी सलाहकार, अधिवक्ता या किसी अन्य सामग्री/ सेवा प्रदाता को विप्रेषित की गई राशि शामिल होगी।

1.4 निर्गम के अन्य प्रकार

1.4.1 कोई भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को देय किसी निधि के बदले इक्विटी शेयर (अंशतः प्रदत्त शेयरों को छोड़कर), जिसके विप्रेषण को अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उसके तहत जारी निदेशों के अंतर्गत अनुमति दी गई है अथवा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उसके तहत जारी निदेशों के अंतर्गत जिसके विप्रेषण के लिए केंद्र सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जारी कर सकती है :

(ए) ऐसे शेयर जिनके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है अथवा आयात संबंधी देय राशियाँ जिन्हें ईसीबी माना जाता हो अथवा व्यापार ऋण या सेकंड हैंड मशीनरी के आयात के बदले देय राशियों पर संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(बी) इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसे शेयरों का निर्गम देय निधियों पर यथालागू कर संबंधी कानूनों के अधीन होगा तथा इक्विटी में परिवर्तन यथालागू करों को घटाकर किया जाएगा।

1.4.2 कोई भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को देय किसी निधि के बदले इक्विटी शेयर (अंशतः प्रदत्त शेयरों को छोड़कर), जिसके विप्रेषण के लिए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उसके तहत जारी निदेशों के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है, जारी कर सकती है।

1.4.3 उस मामले में जहाँ ऊपर 1.4.2 में दिए गए अनुसार आरबीआई द्वारा विप्रेषण करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, वहाँ भारतीय कंपनी इस प्रकार के विप्रेषण के बदले इक्विटी शेयर (अंशतः प्रदत्त शेयरों को छोड़कर) जारी कर सकती है बशर्ते अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत विलंब अथवा उल्लंघन से संबंधित सभी विनियामक कार्रवाइयाँ पूरी की गई हों।

1.4.4 यदि भारतीय निवेशग्राही कंपनी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों से सम्बद्ध है तो भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत इक्विटी लिखतें जारी कर सकती है अथवा कोई भारतीय निवेशग्राही कंपनी यदि अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों से संबद्ध है तो वह सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित के बदले इक्विटी लिखतें जारी कर सकती है:

(ए) इक्विटी लिखतों की अदलाबदली (स्वैप);

(बी) पूंजीगत माल/ मशीनों/ उपकरणों (सेकंड हैंड मशीनरी को छोड़कर) का आयात जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत माल, मशीनों आदि का किया गया आयात, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति तथा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आयात संबंधी विनियमों के अनुसार है;

(ii) पूंजीगत माल/ मशीनों/ उपकरणों का किसी तृतीय पक्षी संस्था द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया हो अथवा जहाँ से आयात किया जा रहा है, उस के देश में स्थित किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा ऐसे आयतों के उचित मूल्य के निर्धारण के संबंध में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर मूल्यांकन किया गया हो;

(iii) सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदनों के मामले में :

ए) आवेदनों के साथ उपर्युक्त 1.4.4(बी) (ii) की साक्ष्य देने वाले दस्तावेज़ तथा कंपनी का विशेष संकल्प होना चाहिए;

बी) आवेदन में लाभप्रद स्वामित्व तथा आयातक कंपनी सहित पारदेशीय संस्था की पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए; और

सी) पूंजीकरण के लिए आवेदन (सभी प्रकार से परिपूर्ण) माल के शिपमेंट की तारीख से 180 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(सी) निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन, परिचालन पूर्व/ निगमन पूर्व व्यय (किराया आदि के भुगतान सहित):

(i) परिचालन पूर्व/ निगमन पूर्व व्यय का सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन तथा प्रमाणन;

(ii) किए गए व्यय के लिए पारदेशीय प्रवर्तकों द्वारा निधियों के विप्रेषण के लिए एफ़आईआरसी प्रस्तुत करना;

(iii) विदेशी निवेशक द्वारा सीधे कंपनी को भुगतान किया जाना चाहिए अथवा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार विदेशी निवेशक द्वारा खोले गए बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाए; और

(iv) सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों के मामले में :

ए) आवेदनों के साथ उपर्युक्त 1.4.4(सी) (i),(ii) तथा (iii) की साक्ष्य देने वाले दस्तावेज़ तथा कंपनी का विशेष संकल्प होना चाहिए।

बी) पूंजीकरण के लिए आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण किए गए) कंपनी के निगमन की तारीख से 180 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2. भुगतान का तरीका, इक्विटी लिखतों का निर्गम तथा धन वापसी

2.1 प्रतिफल राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से प्राप्त आवक विप्रेषण के रूप में या [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार रखे गए एनआरई / एफसीएनआर (बी)/ एस्करो खाते में धारित निधियों से किया जाएगा।

2.2 प्रतिफल राशि में भारतीय कंपनी द्वारा निवेशक को देय निधियों के बदले उक्त भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर तथा जहां निवेशग्राही भारतीय कंपनी स्वचालित मार्ग वाले क्षेत्र से संबद्ध है वहाँ इक्विटी लिखतों की अदलाबदली (स्वैप) भी शामिल है;

2.3 प्रतिफल राशि प्राप्त करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर यदि भारतीय कंपनी ने इक्विटी लिखतें जारी नहीं की तो इस प्रकार से प्राप्त राशि, संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जावक विप्रेषण द्वारा अथवा उसके एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों, जैसी स्थिति हो, में जमा करके साठ दिन पूर्ण होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर वापस की जानी चाहिए।

2.4 अंशतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के मामले में 60 दिन की अवधि प्रत्येक कॉल भुगतान की प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी। कॉल मनी का भुगतान न करने पर शुरुआत में अदा की गई राशि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के यथालागू प्रावधानों के अनुसार ज़ब्त की जाएगी।

2.5 कोई प्राधिकृत व्यापारी धनवापसी की अनुमति तब देगा जब वह इस बात से संतुष्ट है कि :

(ए) आवेदक की वास्तविकता;

(बी) निधियाँ उपर्युक्त पैरा 2.1 में निर्धारित भुगतान की विधि के अनुसार प्राप्त की गई हैं।

(सी) विप्रेषण के किसी भी भाग में प्राप्त की गई निधियों में ब्याज का कोई अंश शामिल नहीं है।

2.6 इस प्रकार से प्राप्त राशियों की वापसी में हुए विलंब के लिए ब्याज का भुगतान, यदि कोई हो, करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किए गए अनुसार आरबीआई का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। उपर्युक्त 2.3 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन नहीं करना इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विलंबित वापसी के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है, एनडीआई नियमावली का उल्लंघन होगा।

2.7 इस अनुबंध में उल्लिखित इक्विटी लिखतों को जारी करने वाली भारतीय कंपनी को [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते\) विनियमावली, 2015](#) के अनुसार भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास एक विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति है।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण

3.1 इक्विटी लिखतों की बिक्री से हुई आय (लागू करों को घटाकर) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित व्यक्ति के एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी) खाते में जमा किया जा सकता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

1. इक्विटी लिखतों की खरीद / बिक्री

1.1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद अथवा बिक्री कर सकते हैं।

1.2 प्रत्येक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अथवा सेबी (एफ़पीआई) विनियमावली, 2014 में संदर्भित प्रत्येक निवेशक समूह द्वारा किसी भारतीय कंपनी में धारित की जाने वाली समग्र होल्डिंग, उस कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर 10 प्रतिशत तक की सीमा में अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों अथवा अधिमानी शेयरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत तक की सीमा में होगी और किसी कंपनी में सभी प्रकार के एफ़पीआई की शेयरधारिता डाइल्यूटेड आधार पर कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटी मूल्य के 24 प्रतिशत अथवा कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों अथवा अधिमानी शेयरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त 10 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की सीमाओं को क्रमशः व्यक्तिगत सीमा और समग्र सीमा कहा जाएगा।

1.3 भारतीय कंपनी 24 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को अपनी निर्धारित क्षेत्रवार सीमा/ सांविधिक सीमा, जो भी लागू हो, तक आगे बढ़ा सकती है बशर्ते वह इसके लिए अपने निदेशक बोर्ड तथा साधारण सभा से क्रमशः संकल्प पारित कर के और विशेष संकल्प के जरिए अनुमोदन ले लें।

1.4 यदि एफ़पीआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो गई हो अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों अथवा अधिमानी शेयरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त के मूल्य के 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो गई हो, तो एफ़पीआई द्वारा किए गए ऐसे समग्र निवेश को सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एफ़डीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा तथा निवेशक और निवेशग्राही कंपनी को फेमा 395 में उल्लिखित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

1.5 एफ़पीआई की धारिता की उच्चतम सीमा की गणना करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक बाज़ार दोनों से अर्जित इक्विटी लिखतों को शामिल किया जाएगा। तथापि इस सीमा में एफ़पीआई द्वारा अपतटीय निधियों, वैश्विक निक्षेपागार रसीदों तथा यूरो परिवर्तनीय बॉण्ड के माध्यम से किए गए निवेश को शामिल नहीं किया जाएगा।

1.6 कोई एफ़पीआई नीचे दी गई व्यक्तिगत एवं समग्र सीमाओं तथा शर्तों के अधीन किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतें पब्लिक ऑफ़र/निजी प्लेसमेंट के जरिए खरीद सकता है:

(ए) यदि शेयरों की पब्लिक ऑफ़र दी जानी है, तो जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य निवासियों के लिए जारी किए गए शेयरों के मूल्य से कम नहीं होगा; और

(बी) यदि निजी प्लेसमेंट जारी करने का मामला हो तो वह मूल्य सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निर्धारित किए गए मूल्य से कम नहीं होगा अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किसी मूल्य निर्धारण पद्धति

के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर अभिकलित किए गए उचित मूल्य, जिसे सेबी में पंजीकृत यथालागू मर्चेन्ट बैंकर अथवा सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, से कम नहीं होगा।

1.7 कोई एफ़पीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन आरबीआई और सेबी द्वारा अनुमत किए गए अनुसार प्रतिभूतियों की अल्पकालिक बिक्री कर सकते हैं तथा शेयरों को उधार दे अथवा ले सकते हैं :

ए) एफ़पीआई द्वारा इक्विटी शेयरों की अल्पकालिक बिक्री उन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के मामले में अनुमत है जिनमें कुल विदेशी निवेश और/अथवा कुल एफ़पीआई सीमा के लिए कम से कम 2% की गुंजाइश (हेडरूम) है अथवा वह कंपनी रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित सतर्कता सूची अथवा प्रतिबंधित सूची अथवा रिज़र्व बैंक या सेबी द्वारा ऐसा करने के लिए नामित किसी प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित किसी प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल नहीं है।

बी) एफ़पीआई द्वारा इक्विटी शेयरों को केवल अल्पकालिक बिक्री में सुपुर्दगी के प्रयोजन से उधार लिया जाएगा।

सी) एफ़पीआई द्वारा मार्जिन/ संपार्श्विक को इक्विटी बाज़ार के यथालागू नकद एवं फ़्यूचर और ऑप्शन क्षेत्र में बनाए रखा जाएगा। इस प्रकार के मार्जिन/ संपार्श्विक पर एफ़पीआई को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

डी) नामित अभिरक्षक बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी के प्रयोजन के लिए, एफ़पीआई द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों की अल्पकालिक बिक्री तथा इक्विटी शेयरों को उधार देने तथा लेने से संबंधित सभी लेनदेन को अपने दैनिक रिपोर्टिंग में पर्याप्त टिप्पणी (शॉर्ट/ बेचे/ उधार दिए गए/ उधार लिए गए इक्विटी शेयर) के साथ अलग से रिपोर्ट करेंगे।

1.8 निवेश आरबीआई / सेबी द्वारा यथा-निर्दिष्ट सीमाओं तथा मार्जिन अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 इक्विटी लिखतों की खरीद के लिए प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण के द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए विदेशी मुद्रा खाते और/अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा निधियों से प्राप्त होगी।

2.2 इन विदेशी मुद्रा खातों / एसएनआरआर खातों का उपयोग इस अनुसूची के तहत केवल इन्हीं लेनदेनों के लिए किया जाएगा।

3. बिक्री आगम राशि का विप्रेषण :

निवेशों से प्राप्त बिक्री आगम राशि (लागू करों को घटाकर) का भारत से बाहर विप्रेषण किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित एफ़पीआई निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. छूट

एफ़पीआई के रूप में पंजीकरण से पूर्व अनुमानित एफ़पीआई द्वारा इस विनियमावली के अनुसरण में किए गए सभी निवेश वैध हैं और उनकी गणना एफ़पीआई हेतु निर्धारित निवेशों की समग्र सीमा में की जाएगी।

प्रत्यावर्तन के आधार पर अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) द्वारा निवेश

1. इक्विटी लिखतों की खरीद / बिक्री

1.1 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) को संप्रत्यावर्तन के आधार पर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद अथवा बिक्री करने की अनुमति है।

ए) खरीद अथवा बिक्री किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी शाखा के माध्यम से की जाए;

बी) किसी एनआरआई या ओसीआई व्यक्ति की समग्र होल्डिंग, उस कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर पाँच प्रतिशत तक की सीमा में अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों अथवा अधिमानी शेयरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के पाँच प्रतिशत तक की सीमा में होगी और किसी कंपनी में सभी प्रकार के एनआईआर व ओसीआई की शेयरधारिता डाइल्यूटेड आधार पर कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटी मूल्य के दस प्रतिशत अथवा कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों अथवा अधिमानी शेयरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

सी) भारतीय कंपनी उक्त दस प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को 24 प्रतिशत तक आगे बढ़ा सकती है बशर्ते वह इसके लिए अपने निदेशक बोर्ड तथा साधारण सभा से क्रमशः संकल्प पारित कर के और विशेष संकल्प के जरिए अनुमोदन ले लें।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 इक्विटी लिखतों की खरीद के लिए प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण के द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई) में जमा निधियों से प्राप्त होनी चाहिए।

2.2 एनआरई खाते को एनआरई (पीआईएस) खाते के रूप में नामित किया जाएगा और नामित खाते का उपयोग विशेष रूप से इस अनुबंध के तहत अनुमत लेनदेन करने के लिए ही किया जाएगा।

2.2.1 एनआरई (पीआईएस) खाते के लिए अनुमत विशिष्ट जमा (क्रेडिट) निम्न प्रकार हैं:

ए) विदेश से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में प्राप्त आवक विप्रेषण;

बी) [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार एनआरआई/ ओसीआई के अन्य एनआरई खातों या एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरण;

सी) इस अनुबंध में निहित निर्देशों के अनुसार और स्टॉक एक्सचेंज पर बेची गई इक्विटी लिखतों की प्रत्यावर्तन के आधार पर प्राप्त की बिक्री आगम राशि (करों को घटा कर); तथा

डी) इस अनुबंध में निहित निर्देशों के अनुसार प्रत्यावर्तन के आधार पर किए गए निवेश पर अर्जित लाभांश अथवा उससे हुई आय।

2.2.2 एनआरई (पीआईएस) खाते के लिए अनुमत विशिष्ट डेबिट निम्नानुसार हैं:

ए) इस अनुबंध में निहित निर्देशों के अनुसार प्रत्यावर्तन के आधार पर किए गए निवेश पर अर्जित लाभांश या अर्जित की गई आय का जावक विप्रेषण;

बी) इस अनुबंध में निहित निर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रत्यावर्तन के आधार पर इक्विटी लिखतों की खरीद हेतु भुगतान की गई राशि;

सी) इस अनुबंध में निहित निर्देशों के अनुसार इक्विटी लिखतों की बिक्री/ खरीद पर लगाया गया कोई शुल्क; तथा

डी) [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार ऐसे खातों को रखने के लिए पात्र एनआरआई/ ओसीआई या किसी अन्य व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरण अथवा भारत के बाहर किया गया विप्रेषण।

3. बिक्री आगम राशि का विप्रेषण

इक्विटी लिखतों की बिक्री आगम राशि (करों को घटा कर) भारत के बाहर विप्रेषित की जा सकती है या संबंधित व्यक्ति के एनआरई (पीआईएस) खाते में जमा की जा सकती है।

4. छूट

एनआरओ (पीआईएस) के रूप में नामित कोई भी खाता एनआरओ खाते के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

**अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) द्वारा
अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश**

ए. इक्विटी लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोट अथवा यूनितों या किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान

1.1 कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई), जिसमें कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट और कोई साझेदारी फर्म शामिल है, जो भारत के बाहर निगमित है और एनआरआई या ओसीआई के स्वामित्व और नियंत्रण में है, को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित खरीदने/ में अंशदान करने की अनुमति है :

ए) किसी कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर या उसके बाहर बिना किसी सीमा के जारी की गई कोई पूंजीगत लिखतें।

बी) किसी निवेश व्हीकल द्वारा बिना किसी सीमा के स्टॉक एक्सचेंज पर या उसके बाहर जारी की गई यूनितें।

सी) बिना किसी सीमा के किसी सीमित देयता भागीदारी की पूंजी।

डी) एनडीआई नियमावली के अनुसार किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय नोट।

1.2 उपर्युक्त पैरा 1.1 में वर्णित निवेश को निवासियों द्वारा किए गए निवेश के समान घरेलू निवेश माना जाएगा।

1.3 एनआरआई या ओसीआई, जिनमें कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट और कोई साझेदारी फर्म शामिल है, जो भारत के बाहर निगमित हो और एनआरआई अथवा ओसीआई के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा नियंत्रित हो, तो वे ऐसी संस्थाओं की इक्विटी लिखतों में निवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही वे किसी निधि कंपनी की यूनितों या कृषि/ बागवानी गतिविधियों या भू-सम्पदा कारोबार या फार्म हाउस के निर्माण या विकास अधिकारों के हस्तांतरण, आदि गतिविधियों में शामिल संस्थाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण के द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए अनिवासी बाह्य खाते (एनआरआई) / एफसीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में जमा निधियों से प्राप्त होनी चाहिए।

3. बिक्री / परिपक्वता आगम राशि :

3.1 किसी एलएलपी की खरीदी गई इक्विटी लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता आगम राशि (लागू करें को घटाकर) या विनिवेश से अर्जित राशि को केवल निवेशक के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा, भले ही प्रतिफल के भुगतान हेतु किसी प्रकार के खाते का उपयोग किया गया हो।

3.2 किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों में निवेश की गई राशि या किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान की गई प्रतिफल राशि और उस पर हुए पूंजीगत लाभ को विदेश में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है।

बी. किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था में निवेश

1 फ़र्म या किसी स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान

1.1 एनआरआई या ओसीआई भारत में किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अभिदान कर सकते हैं।

1.2 इस प्रकार की निवेशग्राही फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था किसी भी प्रकार की कृषि या बागवानी गतिविधियों अथवा प्रिंट मीडिया या भू-संपदा कारोबार अथवा लाभ या आय अर्जित करने के उद्देश्य से अचल संपत्ति के कारोबार में लगी हुई न हों।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण के द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में जमा निधियों से प्राप्त होनी चाहिए।

3. बिक्री / परिपक्वता आगम राशि :

3.1 विनिवेश से आगम राशि को केवल संबंधित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा, भले ही प्रतिफल के भुगतान हेतु किसी प्रकार के खाते का उपयोग किया गया हो।

3.2 किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में अंशदान की गई राशि और उस पर हुए पूंजीगत लाभ को विदेश में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है।

किसी सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में निवेश

1. एलएलपी में निवेश

1.1 दिनांक 20 मई 2011 से एलएलपी में निवेश की अनुमति दी गई है।

1.2 कोई व्यक्ति, जो भारत के बाहर (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक को छोड़ कर) का निवासी है या भारत से बाहर (पाकिस्तान या बांग्लादेश में निगमित किसी इकाई से भिन्न) निगमित कोई संस्था है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफसीसीआई) नहीं है, उसे ऐसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान करने की अनुमति है जो उन क्षेत्रों/ गतिविधियों से सम्बद्ध हैं, जिनके लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और जिसके लिए एफडीआई से जुड़ी निष्पादन संबंधी शर्तें लागू नहीं हैं।

1.3 'लाभ शेयर' के माध्यम से किया गया निवेश अर्जित की गई आय के पुनर्निवेश की श्रेणी में आएगा।

1.4 एलएलपी में निवेश सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

1.5 कोई कंपनी, जिसमें विदेशी निवेश हो, और जो उन क्षेत्रों/ गतिविधियों से सम्बद्ध हैं, जिनके लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और जिसके लिए एफडीआई से जुड़ी निष्पादन संबंधी शर्तें लागू नहीं हैं, वह कंपनी से एलएलपी में परिवर्तित हो सकती है।

1.6 कोई एलएलपी जिसमें विदेशी निवेश हो, और जो उन क्षेत्रों/ गतिविधियों से सम्बद्ध हैं, जिनके लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और जिसके लिए एफडीआई से जुड़ी निष्पादन संबंधी शर्तें लागू नहीं हैं, वह एलएलपी से कंपनी में परिवर्तित हो सकती है।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 कोई निवेशक किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान का भुगतान आवक विप्रेषण द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए अपने अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई)/ एफसीएनआर(बी) खातों में जमा निधियों से करेगा।

3. विनिवेश आगम राशि का विप्रेषण :

3.1 विनिवेश से प्राप्त राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तित की जा सकती है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा किया जाएगा।

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) द्वारा निवेश

1. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) द्वारा निवेश

1.1 एफवीसीआई को दिनांक 26 दिसंबर 2000 से निवेश की अनुमति दी गई थी।

1.2 एफवीसीआई को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी की प्रतिभूतियों (निर्गम के समय किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हुई) में निवेश करने की अनुमति है :

1. जैव प्रौद्योगिकी
2. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी
3. नैनो टेक्नोलॉजी
4. बीज अनुसंधान और विकास
5. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में रासायनिक क्षेत्र से जुड़ी नई संस्थाओं का अनुसंधान और विकास
6. डेयरी उद्योग
7. पोल्ट्री उद्योग
8. जैव ईंधन का उत्पादन
9. तीन हजार से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले होटल व सम्मेलन केंद्र।
10. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र' शब्द का अर्थ वही है जो भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मार्च 2012 की अधिसूचना एफ. सं.13/06/2009-आईएनएफ द्वारा अनुमोदित संशोधित/ अद्यतन की गई इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में दिया गया है।

1.3 कोई एफवीसीआई किसी स्टार्टअप द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है, भले ही वह स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हो।

1.4 कोई एफवीसीआई जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) अथवा श्रेणी-1 की वैकल्पिक निवेश निधि (श्रेणी-1 एआईएफ) या किसी योजना की यूनितों अथवा वीसीएफ या श्रेणी-1 की एआईएफ द्वारा स्थापित किसी निधि की यूनितों का अर्जन कर सकता है।

1.5 एफवीसीआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों में निवेश रिपोर्टिंग, क्षेत्रवार सीमाओं, प्रवेश मार्ग और अन्य अनुषंगी शर्तों के अधीन होगा।

1.6 कोई एफवीसीआई अनुमत प्रतिभूतियों/ लिखतों को खरीद सकता है, वह इन प्रतिभूतियों/ लिखतों को उनके जारीकर्ता से या इन प्रतिभूतियों/ लिखतों को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति से खरीद सकता है।

1.7 कोई एफवीसीआई सेबी (एफवीसीआई) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

1.8 कोई एफवीसीआई खरीददार और विक्रेता/जारीकर्ता को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य कीमत पर अपने लिए अनुमत प्रतिभूतियों/ लिखतों का अधिग्रहण/ अंतरण कर सकता है। भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को बिक्री करने के मामले में, खरीदार को एक पात्र अधिग्रहणकर्ता होना चाहिए।

1.9 कोई एफवीसीआई वीसीएफ या श्रेणी-1 की वैकल्पिक निवेश निधियों अथवा वीसीएफ या श्रेणी-1 की एआईएफ द्वारा स्थापित किन्हीं योजनाओं/ निधियों के परिसमापन की आगम राशि भी प्राप्त कर सकता है।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 प्रतिफल की राशि का भुगतान विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण के द्वारा अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए विशेष अनिवासी रुपया खाते (SNRR) में जमा निधियों से किया जाना चाहिए।

2.2 विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और विशेष रूप से इस अनुबंध के तहत किए जाने वाले लेनदेन के लिए ही किया जाएगा।

3. बिक्री / परिपक्वता आगम राशि का विप्रेषण :

3.1 बिक्री / परिपक्वता पर प्राप्त राशि (लागू करों को घटा कर) भारत से बाहर प्रत्यावर्तित की जा सकती है अथवा उसे संबंधित एफवीसीआई के विदेशी मुद्रा खाते या एसएनआरआर खाते में जमा किया जा सकता है।

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी निवेश व्हीकल में निवेश

1. किसी निवेश व्हीकल की यूनिटों में निवेश

1.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर) अथवा भारत के बाहर निगमित संस्था (पाकिस्तान या बांग्लादेश में निगमित किसी संस्था से भिन्न) को दिनांक 13 नवंबर 2016 से निवेश व्हीकलों की यूनिटों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।

1.2 इस अनुबंध के अनुसार अधिग्रहीत की गई/ खरीदी गई यूनिटों की बिक्री/ अंतरण/ उनका मोचन सेबी द्वारा बनाए गए विनियमों या आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अधीन होगा।

1.3 कोई निवेश व्हीकल भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उस निवेश व्हीकल द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) की इक्विटी लिखतों की अदला-बदली (स्वैप) पर अपनी यूनिटें जारी कर सकता है।

1.4 कोई एआईएफ (श्रेणी-III), जो विदेशी निवेश धारित करता है, उसमें पोर्टफोलियो निवेश एनडीआई नियमावली के तहत एफपीआई के लिए अनुमत प्रतिभूतियों/ लिखतों तक सीमित होगा।

2. भुगतान का माध्यम

2.1 प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनलों के जरिये आवक विप्रेषण द्वारा प्राप्त राशि से अथवा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के शेयरों की अदला-बदली से अथवा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसरण में रखे हुए अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई) / एफसीएनआर(बी) खातों में जमा निधियों से किया जाएगा।

3. बिक्री/परिपक्वता आगम राशि का विप्रेषण

यूनिटों की बिक्री/ परिपक्वता आगम राशि (लागू करों को घटाकर) भारत के बाहर विप्रेषित की जा सकती है या संबंधित व्यक्ति के एनआरई या एफसीएनआर (बी) खाते में जमा की जा सकती है।

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निक्षेपागार रसीदों में निवेश

1. पात्र व्यक्तियों द्वारा निक्षेपागार रसीदें जारी करने के उद्देश्य से किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखतें जारी/ अंतरित करना

1.1 निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 (डीआर योजना-2014) के अनुसार, निक्षेपागार रसीद किसी भी प्रतिभूति या यूनिट के बदले जारी की जा सकती है जिसमें भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को एनडीआई नियमावली के तहत निवेश करने की अनुमति है। इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए इन्हें 'पात्र लिखतों' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

1.2 डीआर योजना- 2014 और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को किसी विदेशी डिपॉजिटरी के पक्ष में पात्र लिखतें जारी करने या अंतरित करने की अनुमति है।

1.3 कोई घरेलू अभिरक्षक भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की ओर से पात्र लिखतें खरीद सकता है और खरीदी गई लिखतों को डीआर योजना-2014 के अनुसार डिपॉजिटरी रसीदों में परिवर्तित कर सकता है।

1.4 भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा पहले से धारित पात्र लिखतों के साथ विदेशी निक्षेपागारों को जारी की गई या अंतरित की जा सकने वाली पात्र लिखतों का कुल योग अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के तहत ऐसी पात्र लिखतों की विदेशी धारिता की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

1.5 घरेलू निवेशकों के पक्ष में यथालागू क़ानूनों के तहत लिखतें निर्गमित अथवा अंतरित करने के लिए लागू कीमत से कम कीमत पर किसी विदेशी निक्षेपागार को निक्षेपागार रसीदें जारी करने के उद्देश्य से पात्र लिखतें जारी या अंतरित नहीं की जाएगी।

2. छूट

2.1 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड और साधारण शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित की गई निक्षेपागार रसीदों को डीआर योजना-2014 के तदनुसूची प्रावधानों के अंतर्गत जारी माना जाएगा और उन्हें इस अनुबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) का निर्गम

1. आईडीआर का निर्गम

- 1.1 भारत के बाहर निगमित कंपनियां भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से आईडीआर जारी कर सकती हैं।
- 1.2 आईडीआर का निर्गम कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियमावली, 2014 और सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2009 के अनुपालन में होना चाहिए;
- 1.3 वित्तीय/ बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारत में स्थित किसी शाखा या अनुषंगी के माध्यम से आईडीआर जारी करने के मामले में उन्हें अपने संबंधित विनियामक/ विनियमकों का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा;
- 1.4 आईडीआर केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गीकृत किये जाएंगे;
- 1.5 आईडीआर के निर्गम से हुई आय को ऐसे आईडीआर जारी करने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत भारत के बाहर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

2. आईडीआर की खरीद/ बिक्री :

- 2.1 कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) आईडीआर की खरीद कर सकता है; उन्हें धारण कर सकता है या बेच सकता है।
- 2.2 एनआरआई या ओसीआई [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के अनुसार रखे हुए अपने एनआरआई/ एफसीएनआर (बी) खाते में जमा निधियों से आईडीआर में निवेश कर सकते हैं।
- 2.3 पात्र विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बाजारों में आईडीआर जारी करके पूंजी जुटाने के लिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा की निगरानी सेबी द्वारा की जाएगी।

3. आईडीआर का अंतरण, मोचन और उनकी दोतरफा प्रतिमोच्यता

- 3.1 आईडीआर को जारीकर्ता कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के रूप परिवर्तित करना/ उनका मोचन [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम\) विनियमावली, 2004](#) के अनुपालन में होना चाहिए।
- 3.2 निर्गम तिथि से एक वर्ष की अवधि तक आईडीआर उनके अंतर्निहित इक्विटी शेयरों में मोचनीय नहीं होंगे।
- 3.3 आईडीआर के सीमित दोतरफा प्रतिमोचन की अनुमति है।

3.4 उपरोक्त 3.1, 3.2 और 3.3 के लिए पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम\) विनियमावली, 2004](#) के अनुपालन में अंतर्निहित शेयरों को या तो बेच सकती हैं या धारित किए रख सकती हैं।

बी) सेबी में पंजीकृत भारतीय म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अनुपालन में अंतर्निहित शेयरों को या तो बेच सकते हैं या उन्हें धारित किए रख सकते हैं।

सी) निवासी व्यक्ति सहित भारत में निवासी अन्य व्यक्तियों को आईडीआर को अंतर्निहित शेयरों में परिवर्तित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर केवल बिक्री के उद्देश्य से ऐसे अंतर्निहित शेयर धरण करने की अनुमति है।

3.5 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा आईडीआर के मोचन पर प्राप्त अंतर्निहित शेयरों को धारण करने पर फेमा फेमा प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा निवेश

1. दीर्घावधि निवेशक जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स (एसडब्ल्यूएफ), बहुपक्षीय एजेंसियां, एंडोमेंट फंड, बीमा फंड, पेंशन फंड और विदेशी केंद्रीय बैंक आदि आरबीआई और सेबी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं।
 2. सेबी के 9 अक्टूबर 2018 के परिपत्र में परिभाषित और भारतीय भौतिक कमोडिटी बाजार में वास्तविक एक्सपोजर रखने वाली "पात्र बाह्य संस्थाएं (ईईई)" सेबी द्वारा निर्दिष्ट ढांचे के तहत घरेलू कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों में भाग ले सकते हैं।
-

इस मास्टर निदेश में समेकित की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों की सूची निम्नानुसार है :

क्रमांक	नियमावली/ अधिसूचना / ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र	दिनांक
1	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) नियमावली, 2019	17 अक्टूबर 2019
2	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 14	16 सितंबर 2003
3	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (संशोधन) नियमावली, 2019	05 दिसंबर 2019
4	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (संशोधन) नियमावली, 2020	22 अप्रैल 2020
5	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020	27 अप्रैल 2020
6	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (संशोधन) नियमावली, 2021	06 अगस्त 2021
7	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021	19 अगस्त 2021
8	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021	05 अक्टूबर 2021
9	विदेशी मुद्रा प्रबंध (एनडीआई) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021	12 अक्टूबर 2021